छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019

(माघ 22, शक सम्वत् 1940)

[अंक 07]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019

(माघ 22, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ0 चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई सरकार का पहला और नये विधायक का भी पहला दिन और प्रश्न है और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री दोनों को बहुत-बहुत बधाई।

श्री मोहन मरकाम :- बहुत-बहुत बधाई। नये सदस्य का नया प्रश्न है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- धन्यवाद।

<u>बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेय जल की आपूर्ति हेतु कार्य योजना</u>

1. (*क्र. 266) श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्राम पंचायतों में पेयजल संकट है ? (ख) ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट से निपटने के लिए क्या कार्य योजना है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्रकुमार) : (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में किसी भी ग्राम पंचायत में पेयजल संकट नहीं है. (ख) ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट से निपटने के लिये विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्ययोजना है :—

1. आवश्यकतानुसार नवीन नलकूप खनन एवं सोलर पम्प की स्थापना का कार्य.
2. जलस्तर गिरने से बंद हैण्डपम्पों में आवश्यकतानुसार राईजर पाईप बढ़ाने एवं बदलने का कार्य.
3. अधिक गहराई तक जल स्तर नीचे चले जाने वाले नलकूपों में सिंगल फेस पम्प स्थापना कर जल प्रदाय आरंभ करने का कार्य.

4. असफल नलकूपों में हाइड्रोफैक्चरिंग उपरांत सफल होने पर हैण्डपम्प स्थापना का कार्य.

5. भरे-पटे नलकूपों की सफाई कर हैण्डपम्प की स्थापना का कार्य.

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज सदन में यह बात रखना चाहो कि पिछली सरकार हा विकास की बड़ी-बड़ी बात कहिस। बड़ा-बड़ा ढिंढोरा पिटीस पर, आज पटल में विकास नहीं दिखथे। विकास के चिड़िया ला जनता हा खोजथे और मैं आज वही प्रश्न में आथो। आज विकास और निर्माण के बात नहीं करो। मैं आज मौलिक अधिकार के बात करिहो। जल हा जीवन हे और जल नहीं मिली तो जीवन संभव नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से मैं प्रश्न करना चाहथो। मोर बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या से ऐसी कौन-कौन से ग्राम पंचायत हे जो पेयजल समस्या से संकटग्रस्त हे। मैं दूसरा प्रश्न यह भी पूछना चाहथो।

अध्यक्ष महोदय :- एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- एक ही प्रश्न जी।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, उसका जवाब उसमें स्पष्ट है कि वर्तमान स्थिति में उनके विधान सभा में कहीं भी कोई समस्या नहीं है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- मैं माननीय मंत्री महोदय ला बतना चाहथो। मैं जेन गांव में रहथो। बालपुर गांव हे। जेन गांव के रहवासी हो। बलौदाबाजार जिला से छोड़के रायगढ़ जिला के पानी लाथे वो गांव के आदमी मन। आज भी उस गांव में पानी के समस्या हे। बहुत से गांव हे बालपुर, उरकाकन, पंडरीपाली, जैधपुर, धुटीकोना, देवराहा, रनकोट, चारपाली, सुरगुली, बकमल्ला, बानीखार, बारमोकार, सोनाखान, गिरौदपुरी, जोगीडिपा और घरीखाद। ये अइसे गांव हे महोदय जी पूरी वनांचल के धरती, पूरा गिरौदपुरी के धरती हे, सोनाखान के धरती आज पूरा क्षेत्र आज पानी के लिए तरस थे। पूरा क्षेत्र में त्राही त्राही माम हे। मगर माननीय मंत्री जी एक लाइन में कहदीस कि उहा पानी के कोई समस्या नहीं हे। मैं माननीय मंत्री जी ला ये माध्यम से बतना चाहथो कि विभाग ओला सत्य जानकारी बताहे। विभाग ओला जो लिखित जानकारी देहे ओ असत्य हे। सत्य से धरती खड़े, सत्य से खड़े आकाश अउ सत्य के रास्ता बताहे बाबा गुरू घासीदास। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करथो आपला जो स्मरण दिलाहे। आपसे मोर निवेदन हे, मैं जे गांव में रहथो ओ गांव के स्कूली लइका मन ला पानी नहीं मिलथे। ओ गांव के जनजीवन अस्त-व्यस्त हे। मयूसी ला पानी नहीं मिल थे। वहां के रहया मन ला पानी नहीं मिलथे। ये दर्जन भर से अधिक गांव अइसे हे जहां पानी के लिए तरसथे। पूरा क्षेत्र पानी के लिए त्रस्त हे। त्राही त्राही माम मचेहे । आपसे मोर निवेदन हे। आप हमर मंत्री हो, ये विभाग के मंत्री हो, पी.एच.ए. के मंत्री हो अगर आप एकर निपटारा नहीं करिहो तो कइसी होही।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्रदेव जी, इसमें भाषण नहीं देते। आप पाइण्टेड क्वेस्चन करिए।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- मैं तो ये भी प्रश्न रखना चाहथो। ये ग्रीष्मकाल पेयजल संकट से निपटे के लिए आपके विभाग द्वारा का कार्ययोजना बनाये हे। मैं ये भी जानना चाहथो। आपसे मोर निवेदन हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नये सदस्य हैं, पहला प्रश्न है इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं पर वास्तव में यह प्रश्न की जगह में भाषण हो रहा है। माननीय सदस्य मार्गदर्शन होना चाहिए।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- आप पूर्व मंत्री रहे हैं। इसी पानी के नाम पर मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। बड़े-बड़े धरना आंदोलन हुए हैं। ग्राम सुराज में मंत्रियों को घेरा गया था। यह मामूली प्रश्न नहीं है। पानी मौलिक अधिकार है। मैं आपको बताना चाहूंगा। उस समय डहरिया जी वहां के विधायक हुआ करते थे और मैं इसी पानी की वजह से सस्पेंड हुआ था। इसलिए चिंतन का विषय है। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं तो एक स्मरण पटल पर ला रहा हूं।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अजय जी, आप तो ऐसा मत बोलिए विधायक जी, आप ही के समय का मुझे जवाब देना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को इसकी चिंता भी है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें से पानी एक है। निश्चित तौर पर वर्तमान आज की स्थिति में कोई समस्या नहीं है। आपने अपने गांव बलरामपुर की बात कही।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैं बता रहा हूँ, आप सुन तो लीजिये।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- बालपुर की।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- हां, बालपुर, मैं वहां की स्थिति बता रहा हूँ। वर्तमान में 29 हैण्डपम्प 02 सिंगल फेस पावर पम्प स्थापित है। मैं आपको यह भी बता दूं कि वहां पर नल-जल योजना का काम चल रहा है, जो कि 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है। तो पानी की कोई समस्या तो है ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, श्री चन्द्रदेव राय आपके कक्ष में आकर समझ लेंगे। आप उनको समझा दीजियेगा। श्री अरूण वोरा।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के गांव में पानी की समस्या है। कम से कम विधायक जी के गांव के पानी की समस्या का तो समाधान हो जाना चाहिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- विधायक जी, मैंने तो बता दिया।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी के कक्ष में वह जायेंगे।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया:- वह चर्चा करके कर लेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी को यह आश्वासन देना चाहिए कि उनके गांव में पानी की समस्या का समाधान हो जायेगा, यह आश्वासन देना चाहिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैंने उनके गांव की स्थिति बता दिया।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- माननीय सदस्य जी, माननीय मंत्री जी के पास बैठ जायेंगे, उसका निराकरण हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी के कक्ष में जाकर निराकरण करेंगे। श्री अरूण वोरा जी।

<u>हैलीकाप्टर किराए पर लेने हेतु जारी टेण्डर</u>

2. (*क्र. 170) श्री अरूण वोरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैलेण्डर वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में कितने हेलीकाप्टर किराए पर लेने के लिए कब-कब टेण्डर जारी किए गए ? (ख) टेण्डर में किन-किन कंपनियों ने भाग लिया ? टेण्डर में कितनी-कितनी राशि दर्शित की गई और किन-किन कंपनियों को टेण्डर दिए गए और उन्हें दी गई राशि का ब्यौरा दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. कैलेण्डर वर्ष 2016 में राज्य पुलिस विभाग के शासकीय उपयोग हेतु 01 डबल इंजन हेलीकॉप्टर किराये से लेने हेतु पहली बार टेण्डर नोटिस दिनांक 23.01.2016 को जारी किया गया, जो असफल रहा. दिनांक 13.07.2016 को पुनः जारी किया गया जो सफल रहा. राज्य शासन के शासकीय उपयोग हेतु 01 डबल इंजन हेलीकॉप्टर किराये से लेने टेण्डर दिनांक 09.06.2016 को जारी किया गया. वर्ष 2017 एवं 2018 में कोई टेण्डर जारी नहीं किया गया. (ख) टेण्डर में भाग लेने, वाली कंपनियों, उनके द्वारा दर्शित राशि और कंपनी जिन्हें टेण्डर दिया गया की जानकारी प्रपत्र-अ एवं उन्हें दी गई राशि का ब्यौरा प्रपत्र-ब पर †[1] संलग्न है.

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाकी प्रश्न ठीक से पूछना, घबराना मत।

श्री अरूण वोरा :- मैं बिलकुल नहीं घबरा रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दबाव में मत आना। अच्छा प्रदशर्नन करोगे तो एक सीट खाली है।

श्री अरूण वोरा :- जी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा प्रदर्शन करोगे तो एक सीट खाली है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो वैसे ही खाली है। आप चिंता मत करो। मेरा सौभाग्य है कि हमारे अपने मुख्यमंत्री जी से प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने का पहला अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस बात को

[1] † परिशिष्ट "एक"

मानकर चलता हूँ कि जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं , हमको उसका फायदा जनहित में मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 23.01.2016 को जारी किए गए टेण्डर को निरस्त करने का क्या कारण था ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ , उन्होंने कहा कि मुझे पहला प्रश्न पूछने का अवसर मिला है। मैं पहला जवाब भाई अरूण वोरा दे रहा हूँ, इसके लिए उनको भी बधाई देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेण्डर निरस्त किए गए हैं, उसमें ढिल्लन एविएशन प्रा0लि0 नई दिल्ली, पवन हंस लिमि0, हेलिगो चार्टर लिमि0, इण्डिया फ्लाई सेफ्टी एविएशन लिमि0 एवं थम्बी एविएशन प्रा0 लिमि0 तिरूवनन्तपुरम हैं। जो शर्तें हैं, उनका पालन ये नहीं कर पा रहे थे। इस कारण निरस्त किया गया है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शर्तों का पालन नहीं कर सके। अभी मुझे पुनरीक्षित उत्तर मिला है। उसमें मैंने देखा है कि दिनांक 9.6.2016 को 2,31,500 रूपये प्रतिघंटे की दर से भुगतान किया गया है। लेकिन ठीक 25 दिन के बाद 3,32,350 रूपये प्रति घंटे की उड़ान का दर दिया गया है। मतलब एक लाख रूपये अधिक की दर से भुगतान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ और यह पूछना चाहता हूँ कि जब दूसरा टेण्डर जारी किया गया तो इस टेण्डर की क्या नियम-शर्तें थीं ? टेण्डर कितने के समय लिए दिया गया था ? जो अधिक भुगतान किया गया, वह किन कारणों से हुआ, वह भी मात्र 25 दिनों के अंतराल में ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि जो शर्तें थीं, उनका पालन नहीं कर रहे थे। उनके पास हेलीकाप्टर आपरेट करने का परमिट नहीं था। इस कारण निरस्त किया गया है। अब दूसरा टेण्डर जो जारी किया गया, वे सारे नियम-शर्तों का पालन कर रहे थे, इस कारण दिया गया है। आपने जो अधिक राशि भुगतान की बात कही है, उसमें ऐसी कोई बात तो दिखाई नहीं देती है कि उसे अधिक भुगतान किया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको हेलीकाप्टर के बारे में ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। आप वैसे ही हेलीकाप्टर हो चुके हो। फिर मुख्यमंत्री जी आपको हेलीकाप्टर ही बना देंगे। आप जान रहे हो कि पूरा दौरा हेलकाप्टर में चल रहा है। दिन में 17 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे जा रहे हैं। आप क्यों गलत जगह छेड़ रहे हो ?

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सही जगह छेड रहा हूं। (हंसी) माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूर्ववर्ती सरकार को छेड़ रहा हूं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय चाहता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी, अगस्त, 2016 से....

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जो आपको प्रश्न बनाकर दिया है, वह ठीक से बनाकर नहीं दिया है ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 80 करोड़ का भुगतान हो गया है तो लगातार एक ही कम्पनी को टेण्डर क्यों दिया जा रहा है ? तीन साल से एक ही कम्पनी टेण्डर दिया जा रहा है, उसी कम्पनी को लगभग 15 साल हो गए, ढिल्लन एविएशन को टेण्डर दिया जा रहा है तो और भी कम्पनियां थीं । मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो अधिक भुगतान हुआ है तो क्या मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराएंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, एक तो राज्य सरकार ने हेलीकाप्टर किराया लेने पर टेण्डर किया है, उसमें 29,54,70,716 रूपये अगस्त, 2016 से लेकर अक्टूबर, 2018 तक है। दूसरा, पुलिस विभाग ने हेलीकाप्टर किराये पर लिया है, वह अगस्त, 2016 से लेकर अक्टूबर, 2016 तक 49,01,25,525 रूपये है और ये उसी शर्त पर जो टेण्डर भरे गए थे, उन्हीं लोगों को दिया गया था, इसके अतिरिक्त नहीं दिया गया था और इसका भुगतान हुआ है, उसकी राशि आपके पास है, जो अतिरिक्त जानकारी दी गई है, उसमें सारी चीजें हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में 29,54,70,716 रूपए भुगतान किये गये, इससे दो हेलीकाप्टर खरीदे जा सकते थे । क्या सरकार नई हेलीकाप्टर खरीदने की तैयारी करेगी ? क्योंकि आप किराये में ले रहे हैं तो 29 करोड़ रूपए भुगतान कर रहे हैं तो किराये देने के बदले हमारे पास एसेट्स बनेंगे । तो क्या नया हेलीकाप्टर खरीदने की तैयारी है क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि सरकार ने हेलीकाप्टर किराये पर लिया, उसमें 29 करोड़ का भुगतान किया है और पुलिस विभाग ने लिया है, वह और अधिक है, 49 करोड़ दिया है तो इसमें निश्चित रूप से हेलीकाप्टर आ सकते थे । आपके जो सुझाव है, उसमें सरकार विचार करेगी।

राज्य बजट से स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

3. (*क्र. 154) श्री धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 1403/एक/2013/04-00224/ब चार/4, दिनांक 22.12.2018 द्वारा यह

निर्देश प्रदान किया गया है कि राज्य बजट से वित्त पोषित अप्रारंभ निर्माण कार्यों को वित्त विभाग की पुनः सहमति उपरांत ही प्रारंभ किया जावेगा ? यदि हां तो उक्त आदेश के पश्चात् दिनांक 18.01.2019 तक कितने कार्यों की पुनः स्वीकृति दी गई है एवं कितनी राशि की ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जी हां. प्रश्नांकित अवधि में पुनः स्वीकृति दिये गये कार्यों की संख्या निरंक है.

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चुनाव के पूर्व जो कार्य स्वीकृत हुए थे और उसके बाद आचार संहिता के कारण कुछ कार्य प्रारंभ भी नहीं हुए, लेकिन वर्तमान में जितने कार्य स्वीकृत हुए हैं, 22.10.18 को एक परिपत्र जारी हुआ और उस आधार पर ये जो कार्य अभी रूके हुए हैं, इसके कारण पूरे प्रदेश में जो प्रभावित हुए हैं । मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो कार्य रूके हुए हैं और उसमें ये दिया है कि सहमति प्राप्त करेंगे, उसके बाद वह कार्य प्रारंभ होंगे तो ऐसे कितने विभाग के कितने कार्य हैं, जो रूके हुए हैं । एक तो ये जानकारी दे दें और ये जो कार्य हैं, इन सभी कार्यों के कार्यादेश कब तक जारी हो जाएंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार को मालूम था कि चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद भी समय से पहले, आचार संहिता लगने से पहले कार्य शुरू भी नहीं करा पाये । वोट लेने के लिए भूमि पूजन करने की इनको इतनी हड़बड़ी थी, लेकिन वह काम शुरू ही नहीं हो पाये और ऐसे कार्य जब हमारी नई सरकार आई, हमारी नई प्राथमिकता है और उस आधार पर हमने कहा कि इन सारे कामों को रोक दिया जाए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उस आदेश के बाद भी चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जल संसाधन विभाग हो, उसमें से 203 काम को हमने स्वीकृत किया है, जो अस्वीकृत कार्य हैं, उसमें 8493 कार्य है, जिसे रोका गया है । अभी उसे स्वीकृत नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग सबका परीक्षण कर रहे हैं और जैसे-जैसे प्रस्ताव आ रहे हैं, उसको स्वीकृत कर रहे हैं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष जी, अधूरे-अधूरे कामों का लोकार्पण किये हैं, पूरे काम हुये नहीं है । कार्य क्यों बंद किये गये हैं, पड़ोसी से पूछ लेते, पड़ोस में ही बैठे हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, कुछ कार्य स्वीकृत करके, कुछ प्रारंभ करने के आदेश दिये हैं, कुछ को नहीं दिये हैं । जो कार्य जितने स्वीकृत हुये हैं, यदि एक कार्य को भी आदेश दे रहे हैं, उसमें टेण्डर की प्रक्रिया पूरी हो गयी है । अलग औपचारिता की भी आवश्यकता नहीं है । सारे कार्य जो स्वीकृत हुये हैं, आप उसको जारी करेंगे क्या ? सारे कार्य अब हमारे प्रारंभ हो जायेंगे, जो रूके हुये हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि नई सरकार की अपनी प्राथमिकता है । उसमें पूरा परीक्षण करके ही हम जारी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- रमन सिंह जी ।

डॉ.रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जिन कामों को निरस्त किया गया, उसमें बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकारण, अनुसूचित जाति, जनजाति,
विधायकों के साथ बैठकर, उनके सुझाव लेकर, उनके प्रस्ताव लेकर, उनके साथ चर्चा करके, बजट में उसका पूरा प्रावधान और उसके बाद उन सारी चीजों को विधायकों की उपस्थिति में तय किया गया । ऐसे जो छोटे-छोटे काम, बजट में प्रावधान ऑलरेडी था और उन कामों को भी रोका जा रहा है । यह उचित नहीं है । कम से कम प्राधिकरण क्षेत्र के सारे काम जो टॉप प्रायरटी पर होती है, उसको शत-प्रतिशत जारी किया जाना चाहिये । मैं मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि प्राधिकरण क्षेत्र के कामों को तो उसमें प्रायरिटी होनी चाहिये । यह विधायक के प्राथमिकता के क्रम में होता है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि उसका परीक्षण कर रहे हैं । जैसे आवश्यकता महसूस हो रही है, हम उसको स्वीकृत करते जा रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा । ऐसे कितने काम हैं, जिन कामों के टेण्डर हो चुके हैं, उन कामों को भी रोक दिया गया है । कब तक आप निर्णय कर लेंगे, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में विकास लगभग अवरूद्ध है । पंचायतों में काम अवरूद्ध है । नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में काम अवरूद्ध है । पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप्प पड़े हुये हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जहां पर सरकार के पैसे नहीं लगते हैं, खुद के पैसे निगम, आयोग, मंडल के माध्यम से विकास के काम होते हैं । वहां पर भी काम रोक दिये गये हैं । पूरे छत्तीसगढ़ का विकास लगभग ठप्प पड़ा हुआ है, उसका निर्णय आप कितने दिनों में कर लेंगे, टेण्डरों को निरस्त करके आप दोबारा टेण्डर करेंगे या जहां पर सरकार का पैसा नहीं लगा है, वहां पर काम को रोकने के जो आदेश हैं, उसको आप निरस्त करेंगे ? नगर पालिका, नगर पंचायतों में जो काम रोक दिये गये हैं, रूटिन के काम रूक गये हैं, आदेश जारी हुआ है, वह गलत आदेश जारी हुआ है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि करोड़ो रूपये का बंदरबांट हुआ है, जिसको रोका गया है । ऐसी बात हुई है, मैं दिखा दूंगा । इसलिए हम लोगों ने रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जमकर कमीशनखोरी हुई है । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- कई करोड़ के कामों का बंदरबांट हुआ है । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जिनसे कमीशन लिया हुआ है, ...(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- इसलिए मुख्यमंत्री जीसे हम लोगों ने निवेदन किया है .....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, रोका जाना चाहिये । परीक्षण करके जारी होना
चाहिये । अनुपयोगी कामों को जारी किया जा रहा था, इसलिए रोका गया है, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :-बृहस्पत सिंह जी, आप बैठिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं निवेदन करूंगा कि परीक्षण कराकर कराया जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरा प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वित्त विभाग द्वारा एक फलैट आदेश जारी कर दिया गया कि सभी कामों को रोक दिया जाये, आप उसका परीक्षण करवाकर, जिन कामों को किया जा सकता है, रूटिन के काम है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में विकास अवरूद्ध हो गया है । उस आदेश की आप समीक्षा करेंगे क्या ? बाकी जितने कामों को निरस्त किया गया है या रोका गया है, उनको कितने दिनों में समीक्षा करके दोबारा निर्णय कर लेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विद्वान सदस्य हैं, माननीय बृजमोहन जी, अनुभवी हैं, ऐसी योजना के बारे में क्या कहेंगे, जो आपके रायपुर में स्काई बन रहा है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- 71 करोड़ ।

श्री भूपेश बघेल :- इसको चालू रखना है कि बंद करना है, मैं तो आपसे भी सुझाव पूछ रहा था । ऐसी-ऐसी सब स्वीकृत करके रखे हैं । अध्यक्ष महोदय, उसकी समीक्षा तो की जानी चाहिये ।

श्री अमरजीत भगत :- यह तो टोटल कमाओ, खाओ परियोजना था ।

एक माननीय सदस्य :- इसके बाद मेरा प्रश्न है ।

श्री भूपेश बघेल :- यह तो आसंदी तय करेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि मूल सवाल नेता प्रतिपक्ष जी का है, और जो परिपत्र जारी हुआ, उसमें है कि इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से राज्य बजट से वित्त पोषित सभी अप्रारंभ निर्माण कार्यों को वित्त विभाग की पुन: सहमति के उपरांत प्रारंभ किया जायेगा। तो बृजमोहन जी ये जो राजय के बजट से पोषित जितने कार्य हैं उन पर ही रोक लगी है। आपने पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका सबको कह दिया। ये केवल राज्य बजट से जो पोषित कार्य हैं उनके लिए है और उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंचायतों में भी तो राज्य बजट से पैसा जाता है साहब? राज्य बजट से पैसा तो काफी विभागों को जाता है, ऐसा नहीं है कि राज्य बजट का पंचायतों और नगर निगमों में नहीं जाता है।

श्री भूपेश बघेल :- हॉ, ठीक है न। उसी के लिए है, सभी के लिए नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं पंचायतों का ही बता रहा हूं कि जहां नाला ही नहीं है वहां पुलिया बन रही है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने कहा कि आपके पी.डब्ल्यू.डी. में, एरीगेशन में हमने स्वीकृत किए हैं। प्रस्ताव पारित हुए थे 256 और उसमें से 203 कार्यो को हमने पुन: स्वीकृत दे दी है। तो जैसे-जैसे प्रस्ताव आयेंगे हम उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई और बात तो नहीं?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिले में मिनरल डेव्हलपमेंट फंड का काम रोक दिया गया है। जांजगीर-चांपा जिले में मिनरल डेव्हलपमेंट फंड का जो काम है जिसमें स्कूल की स्वीकृतियां हुई थीं, हायर सेकेण्डरी स्कूल की स्वीकृतियां हुई थी, जिसमें टेंडर हो गया था उसे रोक दिया गया है। मिनरल डेव्हलपमेंट के काम को क्यों रोका गया है यह मैं पूछना चाहूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि रायपुर नगर निगम के शहर के विकास के जो काम स्वीकृत हुए थे वह काम रूके हुए हैं। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. के काम रूके हुए हैं। हमारे मंडी बोर्ड के द्वारा स्वयं के पैसे से जो काम किए गए वह रूके हुए हैं। आपको इसमें एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए, क्योंकि आपके इस आदेश के कारण जो पैसे बजट से नहीं दिये गये वहां पर भी काम रोक दिया गया है। आपको एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए और कम से कम नगरीय क्षेत्रों में जो काम होना है वह चालू होना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्राथमिकता नई सरकार तय करेगी कि किस काम को शुरू करना है, किस काम को शुरू नहीं करना है। वह आप तय नहीं करेंगे। आप तो करवा नहीं पाये। आपने क्यों नहीं करवाया?

श्री अमरजीत भगत:- विपक्ष की दिक्कत ये है कि बहुत सारे मामले में लेन-देन हो गया था, पैसे वापस करने पड़ रहे हैं इसलिए चाहते हैं कि काम प्रारंभ कराया जाए। उनको रिटर्न वाऊचर भरने पड़ रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका समुचित उत्तर नहीं आया है और माननीय सदस्य इसमें अभी प्रश्न कर रहे हैं। इसका समुचित उत्तर आ जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उत्तर नहीं दिये हैं। यह प्राथमिकता का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय है। जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उसे प्रारंभ नहीं करना और एक लाईन का आदेश निकालना, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरे प्रदेश में काम ठप्प हो चुका है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- हमारे जांजगीर-चांपा जिले में पुल-पुलिया, सड़क इन सबका कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर रूका हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, आज पहला दिन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसमें अवसर दिया जाए।

श्री अमरजीत भगत :- (XX) [2]

(XX) [2] (XX)[3] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोर आपत्तिजनक है। (व्यवधान) मैं इनसे सहमत नहीं हूं, उन्होंने जो नाम लिया उसे स्थापित करें।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष, महोदय ये घोर आपत्तिजनक है और इसे प्रताड़ित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- अरे सुन तो लीजिए। आप क्या चाहते हैं?

श्री अमरजीत भगत :- (XX) [3]

श्री अमरजीत भगत :- उस पैसे को वापस करना पड़ेगा। ये चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चंद्राकर जी आप क्या चाहते हैं। पहले सुनने तो दीजिए न। आप बैठिये न पहले उनको सुनने तो दीजिए। बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अमरजीत भगत जी ने मेरा नाम ले के कहा कि अजय चंद्राकर जी के विभाग में बिना पैसे के काम नहीं होता था। आप उसी विभाग के मंत्री थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत जी आप बैठिये। प्लीज प्लीज।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, विधायक निधि से भी प्रताड़ित किया गया, राज्य शासन से भी पैसा लिया गया। नगर निगम निधि से पैसा लिया गया। ऐसे दर्जनों काम मिले हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी कामों का विवेचना किया जाए।(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के द्वारा माननीय सदस्यों को बाधित किया जा रहा है ये आश्चर्यजनक है। आज पहला प्रश्नकाल का दिन है और माननीय सदस्य, माननीय सदस्य के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाये हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। आपको माननीय सदस्य को प्रताड़ित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- ये रमनसिंह जी, सब कमीशनखोरी किये हैं, ये बैठे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. शिव डहरिया जी आप बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा प्रश्नकाल को बाधित करना ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। पहले इस बात का आग्रह है कि आप नियंत्रित करें। माननीय सदस्य ने सीधा जो आरोप लगाया है। ये दुर्भाग्यजनक है।

(XX) [3] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय :- आज पहला प्रश्न दिवस है। अमरजीत जी प्लीज। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, प्रश्नकाल में अगर कोई बाधक बनेगा तो मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगा। माफ करियेगा। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय चंद्राकर जी को बोलिये, उनको थोड़ा समझाईये। बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय:- मैं उसे Expunge कर दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, ये आचरण का है, संसदीय आचरण....(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- (XX) [4]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप सचेत कर दें कि वे इस तरह का आरोप न लगाये। आप उनको ताकिद कर दें, आज पहला दिन है। अगर इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप होगा तो सदन को चलना मुश्किल होगा और मुझे लगता है कि इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- जस्ट, मिनट जस्ट मिनट। एक मिनट एक मिनट।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये तो पंचायत ग्रामीण और स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात किया है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी, डॉ. शिव डहरिया जी प्लीज। मैंने पहले दिन कहा था, शायद आपने सुना नहीं होगा।

शब्द समारे बोलिये, शब्द के हाथ न पांव।
एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, हमारा एक प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा प्रदेश का विकास रूका हुआ है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, एक तो पूरा प्रश्नकाल बाधित हो रहा है, एक तो उसमें नियंत्रण नहीं है और उसके बाद में जो प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग उसका जवाब चाहते हैं। पूरे प्रदेश में इस बात को ले करके आक्रोश की स्थिति है, सभी जगह कार्य बंद हैं और इस आदेश के कारण प्रभावित हुए हैं। इसलिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आना चाहिए। इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी जो काम रोके गये हैं। उसमें पी.एच.ई विभाग के, पी.डब्ल्यू डी विभाग, के और सिंचाई विभाग के कितने काम रोके गये हैं। एक महीने के अंदर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। पूरे प्रदेश को पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा। कब तक इसका निराकरण कर देंगे।

(XX) [4] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय :- आप सब का इस मामले में उत्तेजना मैं समझ रहा हूं। बड़ा विस्तृत उत्तर आयेगा। आपको 10 बार भी मौके मिलेंगे। आप करते रहियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाइये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप तीन विभागों के बारे में पूछे हैं मैं सभी विभागों के बारे में बता देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बता दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने पूरक प्रश्न पूछा है दो तीन विभागों, लोक निर्माण विभाग, एरिगेशन और पी.एच.ई., मैं आपको बताऊंगा कि लोक निर्माण विभाग के 420, वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग के 13, कृषि विभाग के 15, खाद्य नागरिक आपूर्ति के 46, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के 7 हजार, 838, उच्च शिक्षा के 7, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा के 25, पुलिस के 14, पशु पालन विभाग के 13, जल संसाधन के 65, आवास पर्यावरण के 37।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री शिवरतन शर्मा :-नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें एक और प्रश्न किया था।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हो गया 8 हजार, 493।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें भी प्रश्न पूछा था।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय-सीमा का निर्धारण करेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम परीक्षण कर रहे हैं भई। हमने पहले कहा कि हम परीक्षण करके जैसे-जैसे प्रस्ताव आ रहे हैं, कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षण के लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए? कोई समय सीमा तो होनी चाहिए। पूरे प्रदेश के (व्यवधान)....।

श्री भूपेश बघेल :- आदरणीय शर्मा जी, आपकी तरह नहीं है। हमने मोबाईल खरीदी भी बंद की है, जो इस प्रदेश के (व्यवधान)....।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विकास के काम हैं, उन कामों को शुरू करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मोबाईल नहीं बाटंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप विकास के काम शुरू करेंगे या नहीं ? (व्यवधान)....।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बजट में चर्चा होगी, उस समय (व्यवधान)....।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किसानों, गरीबों को देंगे । (व्यवधान)....।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारे कौन से अच्छे कामों को बढ़ाया है, आपको बजट की चर्चा में बतायेंगे। (व्यवधान) आप उदाहरण दे रहे हैं तो हमारी कौन सी चीजों को आपने अपनाया (व्यवधान)....।

श्री भूपेश बघेल :- आप बताईये। (व्यवधान)....।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, माननीय धर्मजीत सिंह जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए। ये कितने दिनों के अंदर काम शुरू होगा ?

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महीने के बाद लोक सभा की आचार संहिता लग जाएगी। मात्र पी.एच.ई. की पानी की समस्या को लेकर के माननीय सदस्य ने अभी चिंता व्यक्त की है और केवल एक नहीं, पूरे के पूरे प्रदेश में ये हालात हैं। (व्यवधान)....।

श्री सत्यनाराण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही आगे बढ़ने दीजिए। हम लोगों के भी प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाएं।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, वॉटर लेवल डाऊन हो रहा है और यदि इसमें निर्णय नहीं आया, यदि आप परीक्षण करते रहेंगे, ये आचारसंहिता आपकी मई-जून तक चली जाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो निर्णय है वह आचार संहिता के पहले उन कार्यों को लेकर के निर्णय, उसमें आना ही चाहिए और नहीं तो आपके मई-जून तक पूरी गर्मी निकल जाएगी, इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं। ये आचार संहिता के पहले ...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल्डिंग के लिए है।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आचार संहिता के पहले...।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- जिस दिन आचार संहिता लगी, उसके एक दिन पहले आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। सौंप दिया गया।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर समस्या है।

श्री बृहस्पत सिंह :- (व्यवधान) 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा। (व्यवधान)....।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आचार संहिता के पहले निर्णय करेंगे क्या ? (व्यवधान)....। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ ? (व्यवधान)....।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप आचार संहिता की आड़ में लूटमार करेंगे क्या ? (व्यवधान)....।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आ रहा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट हैं। इसलिए हम बहिर्गमन करते हैं।

समय

11:33 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदाना की खरीदी

4. (*क्र. 183) श्री धर्मजीत सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए खरीद वर्ष 2018 के दरम्यान कितनी मात्रा में बारदाने किस कंपनी से किस दर पर खरीदे गए ? (ख) क्या कंडिका क, के बारदानों में अमानक बारदाने पाए गये की शिकायतें मिली है ? यदि हां तो कितनी मात्रा में ? क्या अमानक बारदाने संबंधित कंपनी को वापस किए गए ? नहीं तो क्यों? (ग) बारदानों की सैम्पल जांच कब किसके द्वारा की गई थी ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार कोलकाता से 2,25,428 गठान बारदाने का क्रय पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित दरों पर किया गया है. अगस्त 2018 से दिसंबर 2018 तक माहवार दिये गये क्रय आदेशों एवं दरों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जी हां. राजनांदगांव जिले में प्रदाय किये गये बारदानों में से कम वजन के अमानक बारदाने की आपूर्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी. जूट कमिश्नर द्वारा संयुक्त परीक्षण में उक्त बारदाने मानक पाये गये हैं. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) बारदानों की सैम्पल जॉच जिला स्तरीय समिति, स्कैप इंडिया प्रायवेट लिमिटेड एवं जूट कमिश्नर कार्यालय के साथ मार्कफेड की संयुक्त टीम द्वारा की गई है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय,इस संदर्भ में बात रखना चाहता हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब तो आप बैठ जाईये।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें कुछ नहीं है। वह बात खत्म हो गई।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2018 के दरमियान बारदाने की खरीदी का प्रश्न पूछा था। इस प्रश्न को पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हर साल होना ही है। धान के लिए बारदाने की जरूरत पड़ना ही है । माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2018-2019 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार कोलकाता से 2,25,428 गठान बारदाने का क्रय पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित दरों पर किया गया है।

मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर पटसन आयुक्त या मंत्रालय से ही, वस्त्र मंत्रालय से ही बोरा खरीदने की बाध्यता है या आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार अब अपने टेण्डर से या अपनी शर्तों पर मानक स्तर का बोरा खरीद सकती है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भारत सरकार 3-8-2016 को निर्णय लिया गया जिसके अनुसार दिनांक 1-11-2016 के पश्चात बारदानें की आपूर्ति पटसन आयुक्त भारत सरकार के माध्यम से ही की जाती है। ये भारत सरकार का निर्णय है, इसके कारण से जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदी अनिवार्य कर दी गई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बारदाने की गठान दरों को बताया है, अगस्त में अलग रेट है, सितंबर में अलग रेट है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अलग रेट है, मतलब रेट बढ़ता गया है। मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए उस मंत्रालय से बातचीत नहीं की जा सकती थी कि हमको पूरे साल भर के लिए इनते लाख बोरे चाहिए और उसका रेट ये होना चाहिए। ये हमारी सरकार वस्त्र मंत्रालय के अधीन क्यों हैं? खरीदना मजबूरी हो सकती है पर क्या रेट उनके हिसाब से ही देना मजबूरी है ? अगर नहीं है तो क्या रेट फिक्स करने की कोई बातचीत सरकार की तरफ से आगे होगी या नहीं होगी?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2018 के अनुसार हमको अग्रिम प्लान देना पड़ता है। अग्रिम प्लान के हिसाब से माहवार जो हमारी रिक्वयारमेन्ट, जरूरत है उसके हिसाब से हमको उसकी जानकारी देनी पड़ती है। यह अलग-अलग दर जो थोड़ा-थोडा डिफरेन्स आया है वह माहवार क्रय के कारण आया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस डिफरेन्स में सरकार का लगभग 6 करोड़ रुपया गया है, जो मैं केलकुलेट किया हूं। मैं चाहूंगा कि सरकार का पैसा यहां की गरीब जनता का पैसा है। वस्त्र मंत्रालय को 6 करोड़ रुपया ज्यादा मिल भी गया तो वह कोई अमीर नहीं हो जायेगा और हम दे दिये तो कोई गरीब नहीं हो जायेंगे। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का एक-एक पैसा छत्तीसगढ़ में रहे। अगर छत्तीसगढ़ में ये उद्योग स्थापित हो सकता हो तो इसके बारे में भी विचार करिये। हर साल यहां धान खरीदी की व्यवस्था करनी है। छोटे-छोटे बेरोजगार लोगों को बोरा बनाने का

ही काम दे दीजिए, उसमें वस्त्र मंत्रालय का थोड़ी कंपलसन रहेगा कि वहीं से खरीदना होगा। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि राजनांदगांव जिले में प्रदाय किये गये बारदानों में से कम वजन के अमानक बारदाने की आपूर्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी। जूट कमिश्नर द्वारा संयुक्त परीक्षण में उक्त बारदाने मानक पाये गये हैं। मतलब आपके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2018-19 में खरीदे गये बोरे बिल्कुल मानक हैं। कहीं अमानक नहीं पाये गये। राजनांदगांव में आपको शिकायत मिली, डी.एम.ओ. ने शिकायत की, उसके बाद जांच करने के बाद अगर अमानक नहीं पाये गये तो क्या वह शिकायत करने वाले अधिकारी को असत्य शिकायत करने के लिए निलंबित करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनांदगाव जिले में जो शिकायत हुई थी वह किसी अधिकारी के द्वारा नहीं की गई थी। बारदाना अमानक होने की शिकायत राजनांदगांव जिले से श्री शशिकांत द्विवेदी, उपाध्यक्ष विपणन संघ द्वारा की गई थी। उन्होंने शिकायत में ये कहा था कि 580 ग्राम से वजन के कम बारदाने उसमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन पटसन आयुक्त के प्रतिनिधि और स्थानीय जिला स्तर की कमेटी ने जांच में पाया कि बारदाना अमानक नहीं है। इसके कारण आगे की कोई कार्यवाही इसमें संभव नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वह गलत रिपोर्टिंग दिया तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायतें आती रहती हैं और हर शिकायत कर कार्यवाई करना संभव नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बहुत बड़ी शिकायत है न। धान खरीदी के लिए बारदाना आप भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के बारदाने की गलती एक अदना सा अधिकारी निकाल रहा है, वह सब शिकायत नहीं आती है। उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। नहीं तो कल कोई और भी आरोप लगायेगा कि इसी तरीके से घटना हो रही है। माननीय मंत्री जी एक बात और बताईए आपने जांच सिर्फ 12 जिले में कराया है, प्रपत्र- ब, उसमें आप गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर में सिर्फ एक-बार जांच कराये बाकी जिलों में 4 बार, 5 बार जांच कराये और 15 जिलों में आपने जांच ही नहीं करायी तो यह क्या है इसमें कम से कम जांच होनी चाहिए थी । हो सकता है वहां गलत बारदाना गया हो और फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वर्ष 2018-19 के धान बोरा खरीदी में एक भी अमानक नहीं पाया गया हो । अमानक यदि पाया गया हो तो कितने बोरे अमानक पाये ? उनको वापिस दिये कि नहीं दिये ? उसका पैसा उनसे कटा कि नहीं कटा ? केवल 12 जिलों में जांच क्यों कराये ? 15 जिलों में जांच क्यों नहीं हुई आदि-आदि सब चीजों को एक ही बार में आप बता दीजिये ।

श्री मोहम्मद अकबर :- हर जिले में जांच कराना जरूरी नहीं है । जहां-जहां से शिकायत प्राप्त होती है वहां-वहां बकायदा जांच करायी जाती हे । राजनांदगांव की शिकायत प्राप्त हुई थी, जांच हुई फिर जूट कमिश्नर के प्रतिनिधि आये, जिला स्तर के प्रतिनिधि ने सब मिलकर संयुक्त जांच की और उसके बाद फिर उस कार्यवाही को समाप्त किया गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, जांच कराना इसलिये जरूरी है कि गठान भेजता है कलकत्ता वाला और अन्य-अन्य जिलों में जाता है । यह बस्तर की भी शिकायत थी कि धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे अमानक बारदाने तो कोई जरूरी नहीं है कि शिकायत हो । जब आप करोड़ों रूपये देकर ला रहे हैं, मुफ्त में तो ला नहीं रहे हैं तो जब मुफ्त में नहीं ला रहे हैं तो हमको जांच-परख करके बारदाना लेना पड़ेगा न क्योंकि किसानों को अमानक बोरा मिले और सरकार का पैसा जाये और वह तीसरा कलकत्ता में बैठा हुआ जो भी सरकारी है या गैरसरकारी कंपनी है वह मजा कर रही है, अधिकार तो नहीं देना चाहिए इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप अगली बार यह सुनिश्चित करेंगे कि हर जिले में बारदानों की रेण्डम चेकिंग हो और उस चेकिंग के बाद जो खराब बारदाने हों उनको वापिस करें और अगर वह बार-बार खराब चीज भेजने की व्यवस्था करे तो उसको इस अधिकार से वंचित करें फिर दूसरी कोई कंपनी खोजिए । भारत में तो और भी बोरा बनाने वाली कंपनियों होंगी और मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि क्या आप विचार करेंगे कि ग्रामोद्योग मंत्री के पास तो कोई काम रहता नहीं है, उन्हीं को बोल दो । कम से कम बोरा बनवायें छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चों से तो यह जरा आप विचार करिये और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो क्लीन चीट दे रहे हैं कि धान खरीदी में भाजपा वालों के यहां से कोई गलती नहीं हुई है ऐसा आप स्वीकार कर लिये हैं । मैं तो सोच रहा था कि इसमें भी एसआईटी की मांग करूंगा करके । (हंसी)

श्री मोहम्मद अकबर :- इसमें क्लीनचीट देने वाली कोई बात नहीं है । जहां तक आपकी जो चिंता है तो हर एक पाईंट में परीक्षण की व्यवस्था है । आने वाले समय में करेंगे ।

<u>सौर सुजला योजना अंतर्गत स्थापित पंप</u>

5. (*क्र. 165) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार की सौर सुजला योजना अंतर्गत कवर्धा जिले में वर्ष 2017-18 में कितने पम्प स्थापित किये गये हैं ? क्या इसके लिये विभाग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? (ख) निर्धारित लक्ष्य के विरूद्घ कितने पम्प स्थापित किये हैं ? विधानसभावार बतायें ? आवेदकों द्वारा दिये गये आवेदन का निराकरण कब तक करेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य सरकार की सौर सुजला योजना अंतर्गत कवर्धा जिले में वर्ष 2017-18 में 495 सोलर पम्प स्थापित किये गये है. जी हां. कवर्धा जिले के लिए योजनांतर्गत 500 सोलर पम्प स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. (ख) उत्तरांश क में वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्घ स्थापित किए गए 495 सोलर पम्प की विधानसभावार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	विधानसभा कवर्धा	विधानसभा पंडरिया	कुल
1	388	137	495

आवेदकों से प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण कर सोलर पम्प की स्थापना कर दी गई है. अतः निराकरण कब तक किया जाएगा का प्रश्न उद्‌भुत नहीं होता.

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ में गरीब किसानों के लिये प्रारंभ की गयी । इसमें मेरे दो प्रश्न हैं एक तो सौर सुजला योजना में अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिये जो सब्सिडी की हमने योजना शुरू की थी । इस वर्ष का जो लक्ष्य वर्ष 2018-19 के लिये आपने निधार्रित किया है वह लक्ष्य क्या है और उस सब्सिडी में क्या कोई परिवर्तन किया जा रहा है या पुरानी जो सब्सिडी दी जा रही है वह जारी रहेगी ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने प्रश्न पूछा है उसका तो पूरा उत्तर आ गया । उन्होंने जो दूसरी बात कही है तो बजट में हमने इस साल भी 20 हजार लक्ष्य रखा है, पिछले साल आपने जितना लक्ष्य रखा था उतना लक्ष्य इस साल भी रखा है उसमें किसी प्रकार का कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं किया गया है ।

डॉ. रमन सिंह :- आपने जिले का लक्ष्य निर्धारित किया है कि नहीं ? जिलेवार इसमें हमने लक्ष्य निर्धारित किया था और जिलेवाईस सब्सिडी यानी सब्सिडी की जो राशि दी जाती है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग को इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं किया जा रहा है जो मुझे जानकारी मिली है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जब विभागों की चर्चा होगी तब उसमें बता दिया जायेगा, जिलेवार भी बता दिया जायेगा । अनुसूचित जाति का कितना है, जनजाति का कितना है, पिछड़े वर्ग का कितना है, सामान्य वर्ग का कितना है सबकी जानकारी दे दी जायेगी ।

डॉ. रमन सिंह :- संख्या नहीं सब्सिडी ।

श्री भूपेश बघेल :- उसमें मैंने कहा कि नीतिगत कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में पहली बार हो रहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न पूछा और जवाब वर्तमान

मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं । प्रथम मुख्यमंत्री जी को बोल दीजिये कि इसमें एकाध पूरक प्रश्न कर लें । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- श्री लालजीत सिंह राठिया ।

<u>रायगढ़ जिले में डी. एम. एफ. मद में आवंटित राशि</u>

6. (*क्र. 62) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक डी.एम.एफ. मद में कौन-कौन से खनिज स्रोत से कुल कितनी राशि का आवंटन प्राप्त किया गया है ? उक्त राशि में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां कहां स्वीकृत किये गये है विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) कितने कार्य पूर्ण व कितने अपूर्ण है विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास की निधि में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 (दिसम्बर, 2018) तक खनिज कोयला, डोलोमाईट, क्वार्टज, चूनापत्थर, साधारण पत्थर एवं मुरूम/मिट्टी से कुल राशि रुपये 190 करोड़ 42 लाख रुपये प्राप्त हुई है. उक्त राशि में से स्वीकृत कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-07 पर दर्शित है.

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रायगढ़ जिले में खनिज न्यास मद (डी.एम.एफ.) से कौन-कौन से कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई थी और कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है वे कार्य पूर्ण हुए हैं या नहीं हुए हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने व्यापक प्रश्न पूछा है। मेरे पास सूची है और माननीय सदस्य के पास भी सूची है । यदि मैं एक-एक काम को बताउंगा तो बहुत समय लगेगा । इस सूची के अतिरिक्त कोई बात पूछना चाहें तो मैं जवाब देना चाहूंगा । उपलब्ध सूची में पूर्ण कार्य और अपूर्ण दोनों कार्यों की जानकारी है । जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें रोक दिया गया है । उसकी समीक्षा की जाएगी उसके उपरांत कार्य प्रारंभ किये जाएंगे ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अध्यक्ष महोदय, हमें जो सूची प्राप्त हुई है । हमारे यहां धर्मजयगढ विकासखंड के तमनार, घरघोड़ा में सबसे जयादा खनिज प्राप्त होता है । हमारे क्षेत्र से विधायक और मंत्री माननीय उमेश पटेल जी के यहां साइडिंग है । रेलवे साइडिंग से कोयला बाहर जाता है । पिछले कार्यकाल में हमारे विधान सभा क्षेत्र में पूरे कार्य अपूर्ण-अपूर्ण रहे । पिछले समय हमारे साथ भेदभाव हुआ है । हमने महत्वपूर्ण कार्यों की मांग की थी । हम लोगों ने धुआं, धूल धक्कड़ सब खाया है । वहां सड़कों की हालत जर्जर है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । सड़कें उखड़ती जा रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये ना ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- प्रश्न यह है कि अब नई सरकार आई है तो उसमें सुधार होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं । मेरा यह कहना है कि अब बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र धर्मजयगढ़ में 152 कार्य स्वीकृत हुए जो 28 करोड़ के थे । इसमें से 20 करोड़ व्यय हो चुका है । घरघोड़ा में 43 कार्य स्वीकृत हुए हैं, स्वीकृत राशि 4 करोड़, 95 लाख, व्यय राशि 2 करोड़, 35 लाख, योग 195 कार्य स्वीकृत, कुल राशि 33 करोड़ 54 लाख, व्यय राशि 22 करोड़ 98 लाख । पूर्ण कार्य की संख्या केवल 49 है, अपूर्ण कार्यों की संख्या 146 हैं । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है कि उनके क्षेत्र में खदान है, पेयजल की समस्या है, सड़कें खराब हैं । डी.एम.एफ. का जो नियम है, जो सर्क्यूलर है । उनमें इन्हीं बातों का उल्लेख है, उससे इतर जाकर जो काम हुए हैं, उन्हीं की तो समीक्षा कर रहे हैं । पताचला है कि कलेक्टोरेट में लिफ्ट लगाने की स्वीकृति मिली है, कही एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दी है । इन्हीं सब कामों पर रोक लगाई गई है, इसकी समीक्षा करके, डी.एफ.एफ. का जो सर्क्यूलर है हमें उसके अनुरूप कार्य करना है (मेजो की थपथपाहट) । इसलिए हमने रोक लगाई है ताकि जो प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके, उनके पेयजल के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके आवागमन के लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए राशि खर्च होनी चाहिए । यही नियम भी कहता है लेकिन इससे बाहर जाकर जो काम किए हैं । इसीलिए तो हमने रोक लगाई है, रोक लगाकर, समीक्षा करके उन कार्यों को जारी रखेंगे जो वहां के प्रभावित लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला सकें । ऐसे कार्यों को जारी रखेंगे और जो अनावश्यक खर्च किए गए हैं, उन पर रोक लगाएंगे ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है । माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है । इसमें मेरे यहां नहर के काम, लिफ्ट के काम और बहुत सारी अनियमितता की शिकायतें आई हैं । क्या इनमें जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि नहर लाइनिंग में या नहर बनाने में जहां-जहां गड़बड़ियां हुई हैं । मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जो भी दोषी होगा उसकी जांच कराएंगे और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे (मेजो की थपथपाहट) ।

<u>प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विद्युत सुविधा</u>

7. (*क्र. 90) श्री खेलसाय सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्रामों, पारा, टोला, मोहल्ला में बिजली की सुविधा उपलब्ध

नहीं है ? (ख) उक्त ग्रामों, पारा, टोला में कब तक बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 54 ग्रामों के 62 पारा, टोला, मोहल्ला में ऑफग्रिड बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है. विकासखण्डवार 54 ग्रामों के 62 पारा, टोला, मोहल्ला जहां ऑफग्रिड से बिजली कनेक्शन के कार्य किए जा रहे है, कि जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) †[5] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित ग्रामों के 62 पारा, टोला, मोहल्ला में ऑफग्रिड से विद्युत कनेक्शन के कार्य माह मार्च 2019 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

श्री खेलसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है कि विधान सभा क्षेत्र प्रेमनगर और विधान सभा क्षेत्र भटगांव के 54 ग्रामों के 62 पारा, टोला, मोहल्ला में बिजली नहीं पहुंची है और ऑफग्रिड सोलर के माध्यम से मार्च, 2019 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। गांव वाले सोलर के माध्यम से बिजली लेना नहीं चाहते हैं। जबकि परिशिष्ट (क) 90 में जो भी पारा, टोला, मोहल्ला दिया हुआ है, गांव से सटे हुए हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 54 गांवों के 62 टोला, पारा, मोहल्ला में बिजली के माध्यम से बिजली पहुंचाने की क्या कृपा करेंगे?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय खेलसाय सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने बिजली उपलब्ध कराने की बात कही है और हमने उत्तर में ही बताया है कि 54 ग्रामों के 62 पारा, टोला, मोहल्ला में ऑफग्रिड बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है और उसे 31 मार्च तक पूरा करना है। जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से सरकार काम करती है और वहां जो आप विद्युत विभाग से बिजली पहुंचाने की बात कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसमें आप और हम आपस में बैठ जाते हैं और जहां संभव होगा निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि वहां बिजली पहुंचे। कहीं भी बिजली की कमी न हो लेकिन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आपके साथ, अधिकारी के साथ बैठकर अलग से चर्चा कर लेंगे और जो भी अच्छा हो सकेगा, वह करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- सत्यनारायण शर्मा जी।

<u>छ.ग. राज्य में वन मण्डलों के कार्य योजना का नवीनीकरण</u>

8. (*क्र. 270) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वनमण्डलों में, कब से कार्य आयोजना (वर्किंग प्लान) नवीनीकरण किया जाना लंबित है ? (ख) क्या यह सत्य है कि कार्य आयोजना के अभाव में काष्ठ कूपों में विदोहन तथा वन

---

† [5] परिशिष्ट "तीन"

वर्धनिक कार्य नहीं हो रहे हैं ? (ग) यदि हां तो कितने वन मण्डलों तथा काष्ठ विदोहन नहीं होने से कितने राजस्व की हानि हुई है ?

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 14 वनमण्डलों में कार्य आयोजना (वर्किंग पलान) नवीनीकरण (पुनरीक्षण) का कार्य प्रगति पर है, जिसका वनमंडलवार विवरण †† [6] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) छत्तीसगढ़ में कुल 34 क्षेत्रीय वनमण्डल है, जिनमें से 20 वनमण्डलों की कार्य आयोजना स्वीकृत है, जिसमें काष्ठ कूपों का विदोहन तथा वन वर्धनिक कार्य हो रहे हैं. 14 वनमण्डलों में कार्य आयोजना का पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर है. कार्य आयोजना स्वीकृत नहीं होने के कारण 14 वनमण्डलों में काष्ठ कूपों के विदोहन एवं इससे संबंधित अन्य वनवर्धनिक कार्य नहीं हो रहे है. (ग) कार्य आयोजना के पुनरीक्षण होने के उपरांत ही काष्ठ विदोहन का कार्य किया जाता है. अतः उक्त 14 वनमंडलों में काष्ठ के वास्तविक रूप में विदोहन न होने के कारण, काष्ठ के उत्पादन का सहीं अनुमान लगाना कठिन है. कार्य आयोजना लागू होने पर खड़े वृक्षों का विदोहन किए जाने से शासन को लंबित राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कार्ययोजना समाप्ति के दो वर्ष पूर्व भी कार्य आयोजना अधिकारी की जब नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद भी 7-8 वर्षों से कार्य लंबित है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- जो कार्ययोजना है, वह दो साल नहीं बल्कि तीन साल पहले से की जाती है और निश्चित रूप से इसमें विलंब हुआ है। 2012-13 के समय से यह होना चाहिए था और चूंकि अधिकारियों की कमी है। सी.सी. लेवल के अधिकारी इसे करते हैं और वे उपलब्ध नहीं होने के कारण इसके पहले की जो सरकार थी उसको ध्यान देना चाहिए था। निश्चित रूप से विलंब हुआ है और आने वाले समय में इसमें सुधार करेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वनवर्धनिक कार्य कार्य के न होने से पर्यावरण क्षति भी हुई है और वन सुधार के कार्य भी इसके कारण नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए भी आपको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। क्या आप जिम्मेदार तय करेंगे ? वन सुधार का कार्य नहीं हुआ और पर्यावरण क्षति अलग हुई है। आपके पास पर्यावरण विभाग भी है तो आप कृपा करके बतायें कि इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा ?

श्री मोहम्मद अकबर :- कार्य योजना का नवीनीकरण नहीं हुआ, यह तो मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं। 2012-13 से होना था, उसमें अब तक का विलंब है और कंजरवेटिव लेवल के अधिकारियों को यह अधिकार दिया जाता है। चूंकि उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य वन मंडल के जो डी.एफ.ओ.

---

†† [6] परिशिष्ट "चार"

होते हैं, उनको यह कार्यभार दिया गया है और आगे यह कार्य सुचारू रूप से चले । इसके बारे में हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय जोगी जी, एक मिनट बचा है, आप पूछना चाहेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सत्तू भैया की आज बोलती बंद हो गई है। क्या बात है?

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा अभी तो......सॉरी 6 मिनट।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपका समय तो गया।

श्री अजीत जोगी :- 6 मिनट बचे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय सत्यनारायण जी।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपका तो.........(व्यवधान) ये कौन हैं जो .....(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी के पास समय कम है, जल्दी पूछिए। सत्तू भैया जो हैं, आजकल दूसरे प्रश्न में ज्यादा बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अजीत जोगी जी।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- काष्ठ उत्पादन में राजस्व हानि हुई है और राजस्व प्राप्तियों का अनुमान एक वर्ष उसी साल लगा लिया जाता है तो फिर हानि नहीं हो रही है, ऐसा कैसे कहा जा रहा है? जब राजस्व प्राप्ति का अनुमान एक साथ लगा लिया जाता है तो फिर राजस्व प्राप्ति का अनुमान लग जाना चाहिए। ये कहा गया है कि राजस्व हानि का अनुमान लगाना कठिन है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वनों की कटाई और विदोहन के बाद जो लकड़ी (काष्ट) निकलकर आता है, चूंकि अभी कटाई नहीं हो पाई है तो वह वनों में अपने स्थान पर है। इसलिए राजस्व हानि का कोई सवाल नहीं है। यदि कटाई होने ...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आज 10 प्रश्न होने दीजिये। आप जल्दी से उत्तर दे दीजिये। माननीय जोगी जी।

<u>विधान सभा क्षेत्र मरवाही के विकासखण्डों में गुणवत्ताविहीन विद्युत पोल लगाए जाने की प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही</u>

9. (*क्र. 232) श्री अजीत जोगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधान सभा क्षेत्र मरवाही के अंतर्गत गौरेला पेण्ड्रा एवं मरवाही विकासखण्ड के विद्युत विहीन ग्राम पंचायतों में गुणवत्ताविहीन विद्युत पोल लगाये जाने की शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां तो ठेकेदार के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जी हां. जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा दिनांक 13.08.2018 को आयोजित सामान्य सभा में विधायक प्रतिनिधि श्री ज्ञानेन्द्र उपाध्याय द्वारा यह कथन किया गया कि सौभाग्य योजना के तहत लगाये जाने वाले बिजली के खम्भे के अत्यन्त खराब एवं गुणवत्ता विहीन है. उक्त सभा में उपस्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालन अभियन्ता पेण्ड्ररोड संभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि विधायक प्रतिनिधि से शिकायत प्राप्त होने के पूर्व ही दिनांक 21.07.2018 को गुणवत्ता विहीन बिजली के खम्भों की जांच कर उन्हें रिजेक्ट करते हुए ठेकेदार के व्यय पर नए गुणवत्ता वाले खम्भे दिनांक 27.07.18 से 29.07.2018 के मध्य बदल दिए गए है. उक्त कार्य हेतु जारी कार्यादेश की शर्तों के अनुसार दो अलग-अलग ठेकेदारों यथा मेसर्स प्रमोद कुमार अग्रवाल पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर, द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि रुपये 1,05,942 तथा मेसर्स उदय कंस्ट्राक्शन जांजगीर चाम्पा द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि की राशि रुपये 71,771 को राजसात किया गया.

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बिजली के खम्बे लगाए गए थे, वे गुणवत्ताविहीन थे। शिकायत के बाद उनको बदला गया और ठेकेदारों की जो जमानत राशि है, वह जब्त की गई। मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब यह सिद्ध हो गया कि ठेकेदारों ने गुणवत्ताविहीन खम्बे लगाये थे तो फिर आगे का काम उन्हीं को क्यों दे रहे हैं ? आप उन ठेकेदारों को बिलकुल ब्लेक लिस्टेड करिये, उनको आगे का कोई काम न मिले। जो अच्छी गुणवत्ता के खम्बे लगाए, ऐसे ठेकेदारों को काम दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हें कोई काम नहीं दिया गया है, बल्कि उनको ब्लेक लिस्टेड किया गया है और उसके खिलाफ वसूली की भी कार्रवाई की जा रही है। उन्हें ओगे भी काम नहीं दिया जायेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।

श्री अजीत जोगी :- अभी आगे का काम दिया गया है, आगे नहीं देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- आगे उनको काम नहीं दिया जायेगा।

श्री अजीत जोगी :- यह बहुत अच्छी सौभाग्य योजना, जिसके अन्तर्गत सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी सभी गांवों में, एक गांव को छोड़कर बिजली पहुंचाई गई है। बिजली पहुंचाने के लिए खम्बे तो खींच दिए गए हैं, तार भी खींच दिया गया है, परन्तु ट्रांसफार्मर पुराने ही लगे हुए हैं। तो वे ट्रांसफार्मर इतना लोड नहीं ले सकते हैं, जो नये गांव में जो बिजली विहीन थे, वहां अब बिजली बिलकुल नगण्य पहुंचती है। क्योंकि ट्रांसफार्मर इतना लोड नहीं ले सकता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जहां नये गांव में बिजली पहुंचाई है, वहां के पुराने ट्रांसफार्मरों को बदलकर नये गांव का जितना नया लोड आया है, उतना लोड ट्रांसफार्मर ले सके, ऐसे ट्रांसफार्मर लगाये। उनको कब तक लगवा देंगे ? क्योंकि केवल खम्बा खींचने से, तार खींचने से और यह कह देने से कि बिजली पहुंच गई है, उन गांव वालों को बिजली का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ट्रांसफार्मर बहुत कम

कैसेपिटी के हैं, वहां विद्युत पहुंचती ही नहीं है। तो आप कब तक ये पुराने ट्रांसफार्मर बदलकर के नये और ज्यादा कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगायेंगे?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मूल प्रश्न में इसका जिक्र नहीं है। क्योंकि मूल प्रश्न केवल गुणवत्ता विहीन जो बिजली के खम्बे हैं, उसी से संबंधित है।

श्री अजीत जोगी :- माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी से उद्भुत हो रहा है। मैंने खराब बिजली खम्बों के बारे में पूछा तो आपने कहा कि वह बिजली खम्बे हटा दिए गए। अब नये बिजली खम्बे लगाए हैं। बिजली नहीं पहुंच रही है, ट्रांसफार्मर ही लोड नहीं ले रहा है।

श्री भूपेश बघेल :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा क्योंकि अभी भी जो प्रश्न है, आपने पूरक प्रश्न किया, वह व्यापक है। आप बता दीजिये कि कहां-कहां लोड की समस्या है और किन-किन गांवों में इस प्रकार की शिकायत है, उसकी सूची दे दें, वहां हम ट्रांसफार्मर बदल देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- कार्यक्षेत्र भी व्यापक है और प्रश्न भी व्यापक है।

श्री अजीत जोगी :- मैं गांव के नाम बता सकता हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- आदरणीय अजय जी, माननीय अजीत जोगी जी ने केवल बिजली खम्बों के बारे में पूछा है, वह भी खराब वाले।

श्री अजीत जोगी :- सिलपहरी, अंडी, कोरजा, धनपुर, आमाडाढ़, कोसगई, सिवनी, तेन्दुगुड़ा, कोरजा, डांगपुर, धनपुर, फतगवां, ये रिकार्ड में आ गया होगा। इन गांवों में नई बिजली पहुंचाई गई है। केवल तार खींच गया है। गांव वालों को लगता है कि बिजली आ गई। ट्रांसफार्मर लोड ही नहीं ले रहा है। तो वहां गांव में बिजली जलती ही नहीं है। मेरा अनुरोध है कि जिन गांवों का नाम मैंने लिया, उन पर नया ट्रांसफार्मर लगाईये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12:00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

1 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 पटल पर रखता हूं ।

2 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकक्षण प्रतिवेदन

सहकारिता मंत्री (डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 पटल पर रखता हूं ।

3 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) शेड्यूल्ड बैंक की ऑडिट रिपोर्ट

सहकारिता मंत्री (डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) शेड्यूल्ड बैंक की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2017-18 पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:02 बजे

माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- चतुर्थ विधान सभा के सितम्बर, 2018 सत्र में पारित 4 विधेयकों में से पारित सभी विधेयकों पर तथा पंचम विधान सभा के प्रथम चरण जनवरी, 2019 सत्र में पारित 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है । अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे ।

सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- चतुर्थ विधान सभा के सितम्बर, 2018 सत्र में पारित 4 विधेयकों में से पारित सभी विधेयकों पर तथा पंचम विधान सभा के प्रथम चरण जनवरी, 2019 सत्र में पारित 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है ।

समय :
12:03 बजे **कार्यमंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन**

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

1	**वित्तीय कार्य**	**निर्धारित समय**
	वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय का निर्धारण किया गया है :-	
	(1) श्री टी. एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री	03 घंटे
	(2) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री	03 घंटे
	(3) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री	03 घंटे
	(4) डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री	03 घंटे
	(5) श्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री	03 घंटे
	(6) श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	03 घंटे
	(7) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन विकास मंत्री	03 घंटे
	(8) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री	03 घंटे
	(9) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री	03 घंटे
	(10) श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	03 घंटे
	(11) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री	03 घंटे
	(12) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	03 घंटे
2	**विधि विषयक कार्य**	
	छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019	30 मिनट

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :-प्रश्न यह है कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन दिया है कि नई सरकार के गठन के पश्चात् पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री और मंत्री के सह पर धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है । उनके खिलाफ झूठे पुलिस के प्रकरण बनाये जा रहे हैं । पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि प्रदेश के मंत्री सार्वजनिक सभाओं में लोगों से पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फला पदाधिकारी को हम जेल भेज दें, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, असंतोष व्याप्त है । हमने इस पर स्थगन दिया है । आप इस स्थगन को ग्राहय कर चर्चा कराएं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा):- अध्यक्ष जी, नई सरकार के गठन के पश्चात पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मुख्यमंत्री और मंत्री के शह पर धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है । उनके खिलाफ पुलिस के झूठे प्रकरण बनाये जा रहे हैं । पूरे प्रदेश में स्थिति ऐसी निर्मित हो गयी है । प्रदेश के मंत्री सार्वजनिक सभाओं में लोगों से पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फलां पदाधिकारी को हम जेल भेज दें । पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, असंतोष व्याप्त है । इस पर हमने स्थगन दिया है । आप इस स्थगन को ग्राहय कर चर्चा करायें । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन दिया है । छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को जनता ने विशाल जनादेश दिया है । उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है । इस उम्मीद के साथ कि यहां के किसानों, महिलाओं, गरीबों, बेरोजगार नवजवानों, दूरस्थ अंचल में रहने वालों का भला करने का काम सरकार करेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन बहुत अफसोस है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लोग नापसंद है या जिनसे वह नफरत करते हैं या जिसके प्रति 50-50, 60-60 बार बयान देकर, प्रेस कान्फ्रेंस लेकर आरोप लगाते रहे हैं । ऐसे बिना सिर-पैर के अपराध को पुलिस ने पंजीबद्ध किया । अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता श्री अजीत जोगी, श्री अमित जोगी और दूसरी पार्टी के कई लोगों को एक अंतागढ़ जैसे टेप कांड, जिसका न कोई सिर है,

न पैर है, न जिसका कोई आधार है, न जिसका कोई प्रमाण है । अध्यक्ष महोदय, उसके आधार पर 171 (ई) 171 (एफ) लगाया गया । अध्यक्ष महोदय, इस दफा की वैधानिकता सिर्फ एक साल है । एक साल के अंदर इसमें एफ.आई.आर. कर सकते हैं या कार्यवाही कर सकते हैं, उसमें एक साल की सजा है । चार साल बाद यह दफा पुलिस वाले लोग लगाये हैं, जो कि 506 आई.पी.सी. 420 आई.पी.सी. 120 (बी) है । अध्यक्ष महोदय, 9 और 13 लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम में यह नियम है कि जो भी कार्यवाही करेगा, चुनाव आयोग करेगा । कोई भी चुनाव में फार्म जमा कर सकता है, उठा सकता है ।उसके लिए सरकार सारा काम छोड़कर, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना छोड़कर, लोगों के दूसरे कामों को छोड़कर, शराबबंदी का काम छोड़कर, यह राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर, नेताओं को भय व्याप्त कराने के लिए, नेताओं को पुलिस की हथकड़ी की खौफ दिखाने का, पुलिस के प्रभाव का दुरूपयोग करने का, यहां पर यह काम सरकार के मुखिया के द्वारा किया जा रहा है । यह बहुत ही निन्दनीय है । हमारे पास बहुत से तथ्य हैं । पुलिस वालों को बोला जाता है कि इनको और इनको बंद करना है । दफा कौन लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे लगाओगे, कोर्ट में टिकेगा, नहीं टिकेगा, उससे मतलब नहीं है । डिक्टेट किया जाता है कि इनको बंद किया जाये, इनको परेशान किया जाये, जेल कैसे भेजा जा सकता है, इसकी योजना अगर प्रदेश के मुखिया के दफतर से होगी तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा ? इसलिए हमारे इस स्थगन को स्वीकार करिये । अध्यक्ष महोदय, सब काम बंद करिये । चूंकि प्रजातंत्र है] प्रजातंत्र में जनादेश आ गया है । आपको सरकार चलाना है । अध्यक्ष महोदय, भय के वातावरण में सरकार नहीं चलती । प्रजातंत्र की खूबसूरती यह है कि आपने तो शपथ भी लिया है कि मैं बिना भय, बिना राग, बिना द्वेष के काम करूंगा, लेकिन आप 55 बार बयान देकर, जिनको-जिनको नफरत करते हैं, उनके ऊपर पुलिस की कार्यवाही करवा रहे हैं । यहां लूट हो रही है, डकैती हो रही है, उसके ऊपर कार्यवाही होना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए काम हो रहा है । इसलिए इसको स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह अग्राहय हो गया है, अध्यक्ष महोदय ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिव कुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या बोल रहे हैं, कौन से विषय में बोल रहे हैं, ग्राहय में बोल रहे हैं, किस चीज में बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय:- आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना को मैंने अग्राहय कर दिया है ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से नई सरकार का गठन हुआ है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, उससे जुड़े हुये लोगों को, हमारे संघ परिवार के लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है । उनके ऊपर झूठे मुकदमें लादे जा रहे हैं । पूरे प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति को निर्मित किया जा रहा है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- इनके सरकार में 15 दिन जेल में रहकर आया हूँ ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बदले की भावना से राजनीति करना किसी भी नई सरकार को शोभा नहीं देता । अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त शर्मनाक है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह पुरानी सरकार को शोभा देता है ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक लगातार बारिश हुई । उस बारिश के कारण खरीफ फसल, रबी फसल, नष्ट हुआ । मुआवजा देने का प्रावधान है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ध्यानाकर्षण दिया हूँ । उसको ग्राहय करके चर्चा कराई जाये । लाखों का नुकसान हुआ, करोड़ों रूपये की क्षति हुई है । शासन के तरफ से उसमें कोई सर्वे नहीं किया गया । जिसके कारण किसान लोग आज प्रताड़ित है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से नई सरकार का गठन हुआ है, (एक माननीय सदस्य द्वारा आपका गला खराब है कहने पर) आपके सरकार की एकमात्र उपलब्धि कि आपने किसी को बोलकर मेरा गला खराब करवा दिया।

श्री भूपेश बघेल :- (श्री अजय चन्द्राकर के पीछे भीमा मंडावी, सदस्य बैठे हैं) माननीय अजय जी, सबसे बड़े बैगा तो आपके पीछे बैठे हैं, मैं गला कैसे खराब करवा सकता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आपने कुछ न कुछ जंतर-मंतर करवाया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- और वह आपके खास मित्र हैं।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, 15 विधायक गलती से आये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन चौथाई बहुमत का जनादेश किसी सरकार के लिए बहुत बड़ी जनआकांक्षा का प्रतीक होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दुर्भाग्य का विषय है, खेद और दुख का विषय है कि ये मूल काम को छोड़कर, जनआकांक्षाओं पर ध्यान नहीं देकर माननीय मंत्रीगण विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को खुले तौर पर, अधिकारीगणों को खुले तौर पर कहा जा रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- (सदन के डिस्प्ले बोर्ड में जो सदस्य माईक चालू करते हैं उनका नाम प्रदर्शित होता है किन्तु डिस्प्ले बोर्ड में केवल शिवरतन शर्मा सदस्य का नाम ही लगातार दिखाने पर) अध्यक्ष महोदय, शिवरतन शर्मा जी ने डिस्प्ले को हाईजेक कर लिया है केवल उन्हीं का नाम आ रहा है और चन्द्राकर जी का नहीं आ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन का राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है और लगातार प्रदेश में भय, आतंक और डर का वातावरण बन रहा है और इस प्रदेश को उन्नति की ओर आगे जाने के बजाय भय और डर का वातावरण बनाया जा रहा है। हमने स्थगन दिया है, हमने स्थगन में कई घटनाओं का उल्लेख किया है, हम तथ्यपूर्वक उस बात को रखेंगे। आपसे अनुरोध है कि उस स्थगन को ग्राहय करके उस पर चर्चा करवाईये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चर्चा प्रारंभ कर दी। आप इन्हें निर्देशित करिये, ये चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको इन्हें रोकना चाहिए, ये तो भाषण शुरू कर दिये। ये आपका ध्यानाकर्षित कर सकते हैं लेकिन चर्चा शुरू नहीं कर सकते। आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सदन में ग्राह्यता की मांग कर रहा हूं किसी तथ्य पर नहीं बोला हूं। आपमें दम है तो स्वीकार करवाईये। दम है तो आग्रह करिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर लिया जाए, सारे तथ्य आपके सामने आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन प्रस्ताव की की गई सूचना में तिथि का उल्लेख नहीं है और न ही घटना तिथि का उल्लेख है। बजट चर्चा के दौरान स्थगन प्रस्ताव सूचना को मैंने अग्राह्य कर दिया है । ध्यानाकर्षण पर सब बात आ जायेगी। चलिए ध्यानाकर्षण शुरू कीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- घटना का उल्लेख तो हमने किया ना अध्यक्ष महोदय। घटना का उल्लेख तो हमने कर दिया। हम कहां उल्लेख नहीं कर रहे हैं? आप अनुमति दीजिए, हम पूरी दफा, धारा, घटना दिनांक, तारीख सहित बात करेंगे। आप अनुमति देंगे तब तो घटना बतायेंगे। हमने तो भावना बता दी, उसका जिक्र कर दिया कि आप हमको अनुमति दे दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन के बारे में बात कर रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। विधानसभा सत्र के पहले घटित हुई घटनाओं का उल्लेख करके स्थगन प्रस्ताव लगाया जा सकता है। हमने नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव लगाया है। हमारे कार्यकर्ता को एक मंत्री सुकमा में जाकर धमकी देता है। हमारे कार्यकर्ताओं को कवर्धा में धमकी दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को जशपुर में धमकी दी जाती है, कोरबा में धमकी दी जाती है। तो सरकार को बने हुए अभी 50 दिन हुए हैं और अगर अपोजीशन के कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार से बदले की भावना से कार्यवाही होगी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को काम करने नहीं दिया जायेगा और उसके ऊपर अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव पर आप चर्चा करायें, ये महत्वपूर्ण मामला है। सरकार नई-नई बनी है, अगर अभी इस पर रोक नहीं लगेगी तो आगे आने वाला समय अच्छा नहीं होगा और इसलिए आप इस पर चर्चा करायें इस बात का आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपकी ध्यानाकर्षण सूचना ले रहा हूं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय बृजमोहन जी, सुकमा में लखमा जी बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, एक बार वहां जाकर तो देखिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन जमा किया है उसमें सुकमा की घटना का जिक्र है, कोरबा की घटना का जिक्र है, गरियाबंद में जो घटना घटित हुई उसका जिक्र है, कवर्धा की घटना का जिक्र है, अंतागढ़ टेप कांड में इन्होंने जो गलत एफ.आई.आर. किया है उसका जिक्र है। हमने पूरी घटनाओं को उल्लेखित करते हुए अपना स्थगन जमा किया है और ये पूरे देश की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। अध्यक्ष महोदय, आप इसे ग्राह्य करके चर्चा कराईये, हम बाकी तथ्य भी आपके सामने रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, आपको शून्यकाल में जो अधिकार हैं आपने उसका उपयोग कर लिया, मैंने अपना निर्णय दे दिया। माननीय बृजमोहन जी आपका ध्यानाकर्षण।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता स्वतंत्रतापूर्वक काम नहीं कर पायेगा, हमने इस पर स्थगन दिया है, इसे ग्राह्य कर चर्चा कराईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- बजाय पुलिस थाने में चर्चा के यहां एक बार चर्चा हो जाए। आप भी अपना पक्ष रख दें, हम भी अपना पक्ष रख दें। पुलिस सरकार चलायेगी या जनप्रतिनिधि सरकार चलायेंगे ये तय कर दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर:- अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके आप चर्चा करायें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के गठन के बाद से लगातार इसी प्रकार से झूठे आरोप लगाकर विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को फंसाने का कार्य किया गया है, उनके ऊपर एफ.आई.आर किया गया है और ऐसी अनेक घटनाओं का जिक्र भी हुआ है, उनके नाम के साथ में जिक्र हुआ है। सभी माननीय सदस्यों ने इस पर स्थगन दिया है। ये स्थगन आप स्वीकार करेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा होगी, सारे तथ्य सामने आएंगे और तथ्य के साथ में सबको यहां पर बात रखने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, से आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत ही गंभीर विषय है कि तीन चौथाई बहुमत के बाद में यदि ये सोचेंगे की स्वेच्छाचारिता चलेगी, दमनात्मक कार्यवाही चलेगी। यदि इस बात को हम सदन में नहीं उठायेंगे, माननीय अध्यक्ष जी का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो इस बात को हम कहां उठायेंगे। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस स्थगन को आप स्वीकार करें और स्वीकार करके इस पर चर्चा करवायें ताकि हमारे सारे माननीय सदस्य इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर सकें। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद, ध्यानाकर्षण सूचना बृजमोहन अग्रवाल...।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर पहले चर्चा कर लें।

श्री अजय चंद्राकर :- उस माननीय सदस्य से क्या बात किया जा सकता है, जिससे सदस्य महोदय, संतुष्ट न हो, लोग सुरक्षित नहीं हैं, विधायक संतुष्ट नहीं हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, पुलिस मुख्यालय में उपअधीक्षक को बुलाया जाता है, जबर्दस्ती उनसे कथन कराया जाता है और उसके बाद मामले का अंत किया जाता है। इस प्रकार की चर्चा ......।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मेरी व्यवस्था पर आइये। मेरी व्यवस्था पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पुलिस का फौज नहीं चलेगा। आप राज्य में ऐसा सोचोगे तो सभा लगवा देंगे। ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरी व्यवस्था पर चर्चा करें।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, अगर भय और आतंक रहेगा तो बाकी चर्चा का क्या महत्व ?

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी, आपका ध्यानाकर्षण।

श्री सौरभ सिंह :- इस पर चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय :- जो बात मैंने कह दी है.....।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग आतंक में क्या बात करेंगे। पता चला होगा कुछ बोले बगैर मुकदमे में आ जायेंगे। एक स्वर सरकार को बर्दाश्त नहीं है। अब बदलेगी नहीं तब तक आगे चर्चा नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उसको व्यवस्था दे दी है।

श्री अमरजीत भगत :- ऐसा काम क्यों कर रहे हो, कि पुलिस खोज रही है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपोजिशन के कार्यकर्ता तक काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समय में हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया। उस पर आप पहले चर्चा करवा लें, बाद में अन्य विषय पर जायें। हम चाहेंगे कि स्थगन प्रस्ताव पर आप चर्चा करवायें।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी, ध्यानाकर्षण सूचना।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में एक दामाद को ए.डी. बुलाया है तो नंबर बढ़ाने के लिए यहां के किसी दामाद को किसी भी नेता को फंसाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है। नंबर बढ़ाने के लिए किसी नेता को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। ए.डी. में आठ-आठ घंटे से पूछताछ हो रही है तो नंबर बढ़ाने के लिए एफ.आई.आर थोड़ी करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजी जी, जो माननीय सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं है, आप उसके बारे में बात न करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं नाम नहीं लिया हूं, बोलेंगे तो नाम भी ले दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप नहीं कह सकते।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्मजीत जी, अभी शुरूआत नहीं हुई है।

श्री मोहन मरकाम :- पिछली सरकार विधायकों के ऊपर भी कार्यवाही.....।(व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर मामला है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने ही आतंक मचाया हुआ था। अधिकारियों कर्मचारियों पर जबर्दस्ती केश थोपे गये थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल में जो मुझे सुनना है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री दीपक बैज :- अरे भाई, आवाज में दम नहीं है, थोड़ा जोर से लगा लीजिए।

श्री अरूण वोरा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, भय और आतंक की सरकार खत्म हो चुकी है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये गये।)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, बैठ जाएं मैं खड़ा हूं आप बैठ जाएं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अजय जी, इनको नारा लगाना भी नहीं लगाने आता। (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- अरे भई, आवाज में दम नहीं है, थोड़ा सा और जोर लगा लीजिए।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भय और आतंक की सरकार तो अब खत्म हो चुकी है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी की गई.)

अध्यक्ष महोदय :- कृपया बैठ जाएं। मैं खड़ा हूँ आप बैठ जाएं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अजय जी, इनको नारा लगाने भी नहीं आता है, बताईये?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली इन सभी ...।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। बेटा, सदन में, मैं खड़ा हूँ तो सब बैठते हैं। (हंसी) शून्यकाल में मैंने आपकी बातों को सुना, चूंकि मैंने उसे ग्राह्य नहीं किया है और ध्यानाकर्षण के लिए माननीय बृजमोहन जी को बुला लिया है तो माननीय बृजमोहन जी आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्तुत करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में लोकतंत्र के ऊपर संकट है। पूरे प्रदेश में ...(व्यवधान)।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- क्या बात है? (व्यवधान)....।

(भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई.)

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- लोकतंत्र को कमजोर करने वाली इन ताकतों की जांच... (व्यवधान) यह अभियान बंद होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए....।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। आपने जो स्थगन प्रस्ताव पर गंभीर विषय पर चर्चा दिया है, मैं समझता हूँ कि मैंने सुन लिया। शून्यकाल में आपकी जितना सुनना था, मैंने सुन लिया। अब मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट। यहां आज आय-व्ययक पर चर्चा शुरू होनी है और उसमें आपको सब बातें कहने का अधिकार है जो कुछ कहना है कहिए। (मेजों की थपथपाहट) और इसको ....।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे कि जब सदस्य ही सुरक्षित नहीं है, संस्थाएं सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है तो बाकी चर्चाओं का कोई महत्व नहीं है इसलिए आपसे आग्रह है कि सारे काम रोककर (व्यवधान) आप चर्चा करवाईये। आज यदि मैं (व्यवधान)....।

श्री दीपक बैज :- उधर पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां एक अभियान चल रहा है..। इस पर पूरी (व्यवधान)....।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल पूरी चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अपना निर्देश दे चुका हूँ और बृजमोहन जी को ध्यानाकर्षण के लिए बुला चुका हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे दुबारा निवेदन करते हैं कि जब प्रदेश की संस्थाएं सुरक्षित नहीं है तो ...।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.24 से 12.50 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12:50 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- प्लीज आप बैठिये। ध्यानाकर्षण की सूचना में माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम माननीय अध्यक्ष जी ने पुकारा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- देखिये, माननीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया, अब उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय बृजमोहन जी को माननीय अध्यक्ष जी ने ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने के लिए पुकारा था, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जब सदस्य सुरक्षित नहीं हैं, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, आप बैठिये। कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया है, आंसदी के आदेशों का पालन करना है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, स्थगन में मेरा भी नाम है, आप स्थगन में पहले चर्चा करवा लें।

सभापति महोदय :- आसंदी से ये व्यवस्था हो गई, उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बात रिकार्ड में नहीं आयेगी। मैंने आपसे निवेदन किया है अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- (XX)[7]

श्री नारायण चंदेल :- (XX)

श्री शिवरतन शर्मा :- (XX)

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी जो कह रहे हैं, रिकार्ड में नहीं आयेगा। कोई सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोल रहा है, वह रिकार्ड में नहीं आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- (XX)[8]

श्री शिवरतन शर्मा :- (XX)

सभापति महोदय :- देखिये, सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- (XX)

श्री शिवरतन शर्मा :- (XX)

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, चर्चा करा दीजिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- (XX)

सभापति महोदय :- माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दे दी, अब उस पर चर्चा नहीं हो सकती। माननीय धर्मजीत सिंह जी, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

---

[7] (XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

(XX) [8], (XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री नारायण चंदेल :- (XX)[9]

श्री अजय चन्द्राकर :- (XX)

श्री धर्मजीत सिंह :- भय के वातावरण में मैं कैसे बोल सकता हूं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- (XX)

श्री नारायण चंदेल :- (XX)

सभापति महोदय :- आप बैठिये। शिवरतन जी, चंदेल जी, बृजमोहन जी बैठिये। एक बार अध्यक्ष जी ने आसंदी से व्यवस्था दे दी है, इसमें आज चर्चा नहीं होगी। शासन चाहे तो कल वक्तव्य दे सकता है। आप बैठें। धर्मजीत सिंह, जी मैंने आपसे ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने का आग्रह किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- (XX)

श्री अजय चन्द्राकर :- (XX)

सभापति महोदय :- कोई बात रिकॉर्ड नहीं होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- (XX)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(व्यवधान)

सभापति महोदय :- अब शून्यकाल की सूचना ली जायेगी ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गये।)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह बिल्कुल गलत है । मैं खड़ा हूं । (व्यवधान)

(माननीय सदस्य, श्री धर्मजीत सिंह द्वारा व्यवधान के कारण सूचना नहीं पढ़ी जा सकी)

समय:

12.56 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

सभापति महोदय :- निम्नलिखित माननीय सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी ।

1. श्री सौरभ सिंह
2. श्री सत्यनारायण शर्मा

---

[9] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

3. श्री धर्मजीत सिंह
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल
5. श्री धरमलाल कौशिक

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गये।)

<u>सदन को सूचना</u>

<u>प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शांति सरोवर द्वारा ब्रम्हा भोजन का आयोजन</u>

सभापति महोदय :- माननीय सम्मानित सदस्यों हेतु प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शांति सरोवर, विधानसभा मार्ग सड्डू द्वारा आज दोपहर दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दोपहर 1.30 बजे से ब्रम्हा भोजन आयोजित है । आप समस्त सम्माननीय सदस्यों से आग्रह है कि भोजन अवकाश हेतु सदन की बैठक स्थगित होने के उपरांत ब्रम्हा भोजन में सम्मिलित होने का कष्ट करें । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने ध्यानाकर्षण में पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं, अब आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं । बताइए?

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे तक के लिये स्थगित ।

(अपराहन 12.57 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :
3:00 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, पूरे प्रदेश में जनता के बीच त्राहि-त्राहि मची हुई है। लोकतंत्र खतरे में है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति जी को बैठने तो दो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शिवरतन जी बैठिये ।(व्यवधान) चंदेल जी बैठिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज आप बहुत डांट रहे हैं साहब ।

सभापति महोदय :- डांट नहीं रहे हैं, आप काम ही ऐसा कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, लोकतंत्र खतरे में है । हमने जो स्थगन दिया है उस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- अभी मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं । मैंने उनको अनुमति दी है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- शिवरतन जी, हमें भी सुन लो भाई । माननीय सभापति जी, प्रश्नकाल के बाद एक स्थगन का मुद्दा आया। आप गुण-दोष के आधार पर प्रस्ताव देते हैं, यह आपका अधिकार है, आसंदी उस पर विचार करती है । आपने अनुरोध किया, आसंदी ने उस पर फैसला दिया । ग्राह्यता के कुछ बिंदुओं पर आसंदी ने अपनी बात रखी । आपने कहा कि उसमें प्रदेश के बहुत सारे मामलों का जिक्र एक साथ किया गया है । मैं ऐसा समझता हूं कि यहां विराजमान नेता प्रतिपक्ष की आसंदी पर जो बैठे हैं, वे भी अध्यक्षीय आसंदी से फैसला दिया करते थे । सौभाग्य से दूसरी कुर्सी पर जो बैठे हैं उनका भी संसदीय कार्यमंत्री के रूप में लम्बा अनुभव है। स्वयं आपका अनुभव कम नहीं है और दो आदरणीय धर्मजीत भैया और नारायण चंदेल जी भी उपाध्यक्ष के रूप में आपने आसंदी से हम सबको बहुत दिशा निर्देश दिया हुआ है । स्थगन की ग्राह्यता पर जिन बिंदुओं का आपने जिक्र किया, आसंदी ने तो कहा ना कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार से स्टेटमेंट लेंगे । आसंदी ने तो कहा कि वे बिंदु अग्राह्य किये जाते हैं । सभी विद्वान् सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि आज आय-व्यय पर चर्चा की शुरूआत है । सम्पूर्ण विभाग, सम्पूर्ण प्रदेश, पूरा बजट और जिन बिंदुओं का आप जिक्र कर रहे हैं मैं ऐसा समझता हूं कि सदन में अगर किसी बात की चर्चा करने के लिए अवसर हों तो मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा ज़िद उचित नहीं है । आसंदी के निर्देश के बाद आगे बढ़ना चाहिए । आय व्ययक पर पूरी चर्चा हो उसके बाद भी अगर आपको लगे कि अवसर नहीं मिला है । आज तो पहला दिन है, आज तो शुरूआत हो रही है । इसलिए सभापति जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि सारी बातें जब हो गई है । यह बजट सत्र के सबसे महत्पूर्ण विषय पर चर्चा की शुरूआत है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तमंत्री के रूप में आय व्ययक प्रस्तुत किया है । आप जिन बातों का जिक्र किया है, हम लोगों को इधर बैठने का बहुत सौभाग्य मिला तो थोड़े दिन दुर्भाग्य से उधर भी बैठने का भी अवसर मिला । अब डेढ़ दशक बैठने का अवसर मिला तो ये सारी परिस्थितियां, सारी परम्पराओं से आप सभी भिज्ञ हैं । ये शिवरतन जी थोड़ी ज़िद में आ गए हैं । ऐसा नहीं है शिवरतन जी। शिवरतन जी, आजकल हम यह मानकर चलते हैं कि आप भी समझदार हो रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पहले समझदार नहीं थे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- ये तो आपको समझने की बात है (हंसी) ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तो आपसे ही शिक्षा ग्रहण करता रहा हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- लो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यहां बैठकर जो करते थे, मैं वही करने का प्रयास कर रहा हूं । मैंने तो गुरू के रूप में आपको स्वीकार किया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिव कुमार डहरिया) :- अरे भईया वो तो आगे बैठते थे, आप पीछे बैठ रहे हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसीलिए तो मैंने गुरू कहा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आप दोनों की बात स्वीकार कर रहा हूं । मैं कह रहा हूं ना कि हमें जब दुर्भाग्य से उधर बैठने का अवसर मिला तो आसंदी में आप ही विराजमान हुआ करते थे । आप ही ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप यह स्पष्ट कर दीजिए । संसदीय ज्ञान की बात हो रही है । इधर बैठना दुर्भाग्यजनक है क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- दुर्भाग्य से, बैठना दुर्भाग्य नहीं कहा। ऐसा दुर्भाग्य रहा कि हमको वहां बैठना पड़ा। उसका आशय यह है। आप दोनों बात को एक साथ मत जोड़िए।

श्री ननकीराम कंवर :- हम आगे आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब हमें चिंता करने का वक्त कहां है ? बताइए न। अभी आपको डेढ़ दशक वहां बैठाया है तो हम लोगों को 3 दशक तक जनता ने भेज दिया है। तीन चौथाई से ज्यादा सीटों से बैठा दिया है। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय, इसलिए हमारा चिंता करने का वक्त हमारा नहीं है। लेकिन सदन चलना चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं और विद्वत सदस्यों की एक टीम है। हमने पहले दिन, प्रथम दिवस कहा था। हालांकि संख्या में आप कम हैं। लेकिन जब सदन चलेगा, आपकी आवाजों में दम है। अभी आय-व्यय की जो विस्तृत चर्चा होनी है। अभी मैं समझता हूं कि आप जिन बिंदुओं का आप उल्लेख कर रहे हैं, उसमें सारी चर्चा करने का अवसर है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि अब कार्यवाही आगे बढ़ना चाहिए।

सभापति महोदय :- मेरी बात पहले सुनिए। देखिए चन्द्राकर जी, आप तो संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष भी सदन के अध्यक्ष रहे हैं। आप संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के सम्बन्ध में कौल एण्ड शकधर की किताब को देख लें, उसके पृष्ठ क्रमांक-595 इसमें देखें, सामान्यत: बजट पर चर्चा के दौरान अथवा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्थगन प्रस्तावों के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। क्योंकि इस चर्चा के दौरान सदस्यों को सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। बजट पर चर्चा हो रही है। पर्याप्त अवसर आपको मिलेंगे। वैसे भी ......।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था ......।

सभापति महोदय :- आप पहले मेरी बात तो सुन लें । वैसे भी माननीय अध्यक्ष जी ने आपके स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है। बार-बार उसी प्रश्न को आप उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं सदन की कार्यवाही आगे बढ़ गई तो कार्यवाही पीछे नहीं आ सकती। कृपया आप सहयोग करिए। सदन की कार्यवाही संचालित करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बोलने का अवसर तो दो। आपने अपनी बात कही। हमें अपनी बात कहने का अवसर दीजिए।

सभापति महोदय :- जी, कहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आपने कौल एण्ड शकधर की बात का यहां उल्लेख किया तो आपकी व्यवस्था के हिसाब से बजट सत्र में तो कभी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो ही नहीं सकती। जब हमारे पास अवसर है आय-व्ययक में, विनियोग में या डिमांड में चर्चा करने का तो...।

श्री बृहस्पत सिंह :- सामान्य बजट पर चर्चा हो रही है तो आपको बोलने का पहला अवसर मिलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये, इस विधान सभा में, इसी अवसर में, इसी अवधि में स्थगन आया है। आप रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए और आप जिस चर्चा की आप मांग कर रहे हैं, मुझे इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए लेकिन आपसे आग्रहपूर्वक इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि हमने यह श्योर किया है कि हम हर कार्यवाही में मदद करेंगे। हर चीज में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ की परंपरा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सदस्य सुरक्षित नहीं है, सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में जो भय और आतंक की स्थिति बनाई जा रही है।

सभापति महोदय :- ऐसी कोई अवस्था नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ....(व्यवधान) इसलिए हम आपसे फिर आग्रह करते हैं कि जब महत्वपूर्ण विषय आया है तो अध्यक्ष द्वारा ऊपर उठकर हमारी भावना को ध्यान में रखकर सदन में चर्चा कराई जाए।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, जब अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है, इसके बाद भी अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देना, अध्यक्ष का अपमान हो रहा है। यह एक गंभीर विषय है। मेरा निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष के द्वारा व्यवस्था देने के बाद आसंदी को चुनौती देना अध्यक्ष का अपमान है। यह बहुत गंभीर विषय है।

सभापति महोदय :- मैं माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने एक बार व्यवस्था दे दी है। अब उस व्यवस्था के बाद उस विषय पर चर्चा हो ही नहीं सकती है। मैंने भी कहा है, अगर माननीय गृहमंत्री जी कल जायेंगे तो आपको वक्तव्य देंगे। लेकिन आप इसको भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कार्यवाही आगे बढ़ गई है। मैं भी कार्यवाही आगे बढ़ाता हूं। माननीय मोहन मरकाम जी, वर्ष 2019-20 के बजट पर चर्चा प्रारंभ करें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य का वित्तीय वर्ष 2019-20 का 90910 करोड़ रूपये का बजट माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन वित्त

मंत्री के रूप में पहला बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा। बजट में सरकार का विजन है। सरकार का रोड मैप दिखता है। बजट में समृद्ध छत्तीसगढ़ की परिकल्पना दिखती है। .....(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आसंदी को चुनौती देना गंभीर बात है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, सदन में पहले भी बजट पर चर्चा होने के पहले भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई है । हमारे सभी सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। (XX)[10]....(व्यवधान)।

सभापति महोदय :- आप धमकी दे रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य का भाषण तो रूकवाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इस प्रकार मत चलाइए। आप विलोपित दें, आप विलोपित कर दें।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी जो कह रहे हैं, उसे मैं विलोपित करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इस प्रकार हमारे सदस्यों को मत कहिये। ....(व्यवधान)

सभापति महोदय :- कोई भी माननीय सदस्य अगर अमर्यादित बात करेगा तो वह रिकार्ड में नहीं आएगा। माननीय मोहन मरकाम जी, अपनी बात शुरू करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रिकार्ड में क्यों नहीं आयेगा, रिकार्ड में क्यों नहीं आयेगा ? हम इस सदन के सदस्य हैं, रिकार्ड में क्यों नहीं आयेगा। रिकार्ड में क्यों नहीं आयेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रिकार्ड में क्यों नहीं आयेगा, रिकार्ड में क्या नहीं आयेगा। हम इस सदन के सदस्य हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- चलिये मोहन मरकाम जी, आप अपनी बात शुरू करिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय,.....(व्यवधान) जनता की गाढ़ी कमाई से एकत्र किए गए राजस्व की एक-एक पाई का उपयोग इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता की भाई के कामों में किया जायेगा। .....(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, किसानों का कर्जा माफ करने एवं कृषि उपज का उचित मूल्य देने का वादा किया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वास्तविक भारत गांवों में बसता है। यदि गांव नहीं बचे तो देश भी नहीं बचेगा। छत्तीसगढ़ की 75 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर

(XX)[10] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

आधारित है। वर्ष 2019-20 के बजट का आर्थिक क्षेत्र में 44 प्रतिशत एवं सामाजिक क्षेत्र में 36 प्रतिशत तथा सामान्य सेवा क्षेत्र में 20 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। ....(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार की किसानों की आय दोगुनी करने के विषय में गठित समिति की रिपोर्ट के वाल्यूम -2 में उल्लेख है कि वर्ष 2015-16 में अखिल भारतीय स्तर पर कृषक परिवार की अनुमानित औसत वार्षिक आय- 96,703 रूपये थी। जबकि उसी की तुलना में छत्तीसगढ़ में आय मात्र 64,000 रूपये थी।

श्री अरूण वोरा :- भाई, लाठी-गोठी की सरकार चली गई।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, विपक्ष की बात सुन लीजिये। आप तो उधर मुंह करके ऐसा करके बैठ गए हैं। आप इधर देखिये न।

सभापति महोदय :- मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आप तो उधर देख रहे हैं।

सभापति महोदय :- आपकी तरफ देख रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इधर देखिये न।

सभापति महोदय :- मैंने देख लिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारी भी बात सुनिये न।

सभापति महोदय :- हां, देख लिया। मैं इधर ही देख रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सुनिये न।

सभापति महोदय :- मैंने सुन लिया। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी।

श्री धर्मजीत सिंह :- कम से कम देखिये तो।

सभापति महोदय :- मैं देख रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इधर देखिये।

सभापति महोदय :- मैं इधर ही देख रहा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इनकी बात सुन लीजिये।

सभापति महोदय :- मैंने सुन लिया। आप बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप विपक्ष को अवसर दीजिये।

सभापति महोदय :- अपनी बात जारी रखें।.......(व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2004-05 से 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में आय में कमी आई है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थितर विकास दर वर्ष 2018-19 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में

6.08 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। जो इसी अवधि के लिए अनुमानित अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में कृषि क्षेत्र में विकास दर राष्ट्रीय स्तर पर 3.8 प्रतिशत है जबकि छत्तीसगढ़ में 3.9 प्रतिशत है। औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 7.8 प्रतिशत है जबकि छत्तीसगढ़ में 5.4 प्रतिशत विकास दर है। जबकि सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 7.3 प्रतिशत है,जबकि छत्तीसगढ़ में 6.9 प्रतिशत अनुमानित है।

माननीय सभापति महोदय, मैं भारत के दस राज्यों के जी0डी0पी0 के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। सिक्किम में 13.47%, उत्तराखण्ड में 11.09%, पांडुचेरी में 9.36%, गोवा में 9.09%, तेलंगाना में 8.66%, बिहार में 8.35%, गुजरात में 8.33%, तामिलनाडु में 8.18%, दिल्ली में 8.17%, महाराष्ट्र में 8.00% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 6.08 प्रतिशत है।

समय :
3:13 बजे

<u>सभा के गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलंबन</u>

सभापति महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निम्नांकित सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं।

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल,
2. श्री अजय चन्द्राकर,
3. श्री शिवरतन शर्मा,
4. श्री सौरभ सिंह,
5. श्री डमरूधर पुजारी,
6. श्री ननकीराम कंवर
7. श्री पुन्नु लाल मोहले
8. श्री धरमलाल कौशिक
9. श्रीमती नारायण चंदेल
10. श्री भीमा मंडावी
11. श्री रजनीश कुमार सिंह
12. डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी
13. श्री धर्मजीत सिंह

14. डॉ0 रेणु अजीत जोगी
15. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

कृपया माननीय सदस्य सदन के बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात निर्धारित करूंगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये)

......(व्यवधान)....

सभापति महोदय :- पूर्व में मैंने जो नाम लिये थे, वे सब माननीय सदस्य सदन से बाहर जाएं । मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।......(व्यवधान)....

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में जो आंकड़े आये हैं... ......(व्यवधान)....

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी, कृपया बाहर जाएं, ये उचित नहीं है । नेता प्रतिपक्ष जी, आपका ही बनाया हुआ नियम है, आप भी कभी अध्यक्ष की आसंदी से बैठकर निर्णय लिया करते थे । माननीय मरकाम जी, अपनी बात जारी रखें......(व्यवधान)....

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, जहां भारत का आर्थिक विकास दर 7.2 है, वहीं छत्तीसगढ़ का 3.2 प्रतिशत है । अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ का विकास दर कम है । हम देखते हैं कि अन्य प्रदेशों में सिक्किम में 13.47, उत्तराखण्ड में 11.09... ......(व्यवधान)....

सभापति महोदय :- गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण माननीय सदस्य स्वयं निलंबित हो गए हैं । मान्य परम्परा के तहत मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया बाहर जाएं ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, बिहार में 8.35, गुजरात में 8.33, तमिलनाडू में 8.18 । जबकि पिछले 15 सालों से माननीय डा. रमन सिंह की सरकार थी तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दुरूपयोग किया । आज छत्तीसगढ़ अन्य प्रदेशों की तुलना में गरीब प्रदेश है । यहां छत्तीसगढ़ के अमीर धरती के गरीब लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आज तरस रहे हैं । आज पिछले 15 साल हो गए, यहां की पिछली सरकार के यहां के संसाधनों का दोहन करके जो पैसे का दुरूपयोग किया है, इतिहास इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा । 2018-19 का राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, कृषि क्षेत्र का योगदान 17.25, औद्योगिक क्षेत्र का 47.17, सेवा क्षेत्र का योगदान 35.63 है । आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 1,35,397 है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रति व्यक्ति आय 96,887 है । राष्ट्रीय स्तर पर 11.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है । छत्तीसगढ़ राज्य में 7.9 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है । राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की तुलना में राज्य की आर्थिक विकास दर में कम है, जिसमें बढ़ोत्तरी के लिए छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार हर संभव प्रयास

करेगी । हमें राज्य के आर्थिक विकास और लोगों की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है । हमारी सरकार ने जो वादे किये थे, जो धान का समर्थन मूल्य 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल देंगे, उसी को क्रियान्वित करते हुए इस बजट में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2019-20 के लिए भी 5 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । (मेजों की थपथपाहट) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत भूपेश जी की सरकार ने प्रति राशन कार्ड में 35 किलो देने का प्रावधान किया है, जबकि पिछली सरकार ने बेतहाशा राशन कार्ड काटे । भूपेश बघेल जी की सरकार ने प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल का प्रावधान किया है । इसके लिए 4 हजार करोड़ रूपये का बजट में प्रदान किये गये हैं । माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को जनघोषणा पत्र में जो वादे किये थे.......

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी, आप सदन की मान्य परम्पराओं का पालन नहीं होने देना चाह रहे हैं । सदन की मान्य परम्पराओं को सदैव बनाये रखें । इसलिए मैं फिर निवेदन करता हूँ । जो माननीय सदस्य गर्भगृह में स्वमेव निलंबित हो गये हैं, मेहरबानी करके बाहर चले जायें ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, हमने पिछली सरकारों से पांच सालों तक लगातार यह मांग करते रहे कि विधायक निधि बढ़नी चाहिये । विधायक निधि के लिए माननीय विधायकगणों ने मांग नहीं की थी, फिर भी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने विधायक निधि को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति जी, आजादी के बाद से पुलिस कर्मियों को मात्र 12 रूपया, 13 रूपया भत्ता मिलता था,पहली बार संवेदनशील माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए 45 करोड़ रूपये रिस्पांस भत्ता का प्रावधान किया है । माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बिना मांगे हर वर्ग को, हर कर्मचारियों के लिए, धनराशि का प्रावधान कर रही है । माननीय सभापति जी, हमारे जो पढ़ने वाले छात्र-छात्रायें हैं, प्रि-मैट्रिक के हमारे छात्रों के लिए 900 की जगह 1000 रूपये का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्र-छात्राओं के लिए 500 की जगह 700 रूपये बजट में रखा गया है । (व्यवधान) माननीय सभापति जी, पहली बार हमारे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने खाना बनाने वाली रसोईयों के लिए जो कि पांच साल तक मांग करते रहे, उनकी बातें सरकार ने नहीं सुनी, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने मानदेय राशि 1200 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपया किया है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है । छत्तीसगढ़ में 37 लाख 46 हजार किसान है । पिछले दो वर्षों तक छत्तीसगढ़ में लगातार 1350 किसानों ने आत्महत्या की है । नारे लगाये गये मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की एक भी बात नहीं सुनी । भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी की जो नई परिकल्पना की है, कृषि कल्याण के लिए, किसानों के विकास के लिए, एक नया विभाग और एक नया

नाम किसान कल्याण और जैविक प्रौद्योगिकी विभाग नाम दिया है । माननीय सभापति जी, पहली बार हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, किसान पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बजट में किसानों के कल्याण की योजनाओं के लिए 21 हजार 597 करोड़ का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति जी, पहली बार कृषि बजट में डेढ़ गुना तक किसानों के कल्याण के लिए प्रावधान किया गया है । ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस सदन से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । माननीय सभापति जी, हमारी सरकार ने जो कहा था, वह पूरा किया । हमारी सरकार ने कहा था, राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी कर्ज माफ करेंगे । पहली बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, राष्ट्रीयकृत बैंकों के 4 हजार करोड़ रूपये किसानों की कर्जमाफी किये हैं । छत्तीसगढ़ के 30 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा । ऐसे किसान जो दोबारा लोन नहीं ले सकते हैं, मगर उनको भी फायदा दिलाने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने टोटल 10 हजार करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया है । मैं इस सदन से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के किसानों का 10 हजार करोड़ रूपया का कर्ज माफ हुआ है ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में लगातार नारेबाजी की गई।)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज चार लाख ऐसे बीड़ी किसान हैं जो दोबारा लोन नहीं ले सकते मगर उनको भी फायदा दिलाने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने ऐसे सभी किसानों का कुल 10 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसानों का 10 हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ हुआ है।

सभापति महोदय :- मेरा माननीय विपक्ष के सदस्यों से आग्रह है कि आय-व्ययक पर चर्चा हो रही है और आपको अवसर मिल रहा है, आप अपनी महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया बाहर जाएं। माननीय कौशिक जी, कृपया आप लोग बाहर जाएं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, किसान सिंचाई कर पटा नहीं पा रहे थे, अत: सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 207 करोड़ रूपये का बकाया सिंचाई कर माफ करने का निर्णय लिया है जिससे 15 लाख किसानों को उसका लाभ मिलेगा। खरीफ फसल 2019 के लिए राज्य में 85 लाख टन धान खरीदी के लिए 5 हजार करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है यह एक ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। खरीफ वर्ष 2017 में लगभग 12 लाख किसानों को प्रोत्साहन राशि सहित धान का समर्थन मूल्य मात्र 10 हजार 597 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है जबकि खरीफ 2018 में 15 लाख 53 हजार किसानों को 19 हजार 733 करोड़ का भुगतान इस बजट से

किया जा रहा है। इस प्रकार खरीफ वर्ष 2017 की तुलना में खरीफ वर्ष 2018 में लगभग दुगुनी राशि का भुगतान किसानों को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 316 करोड़ रूपये का प्रावधान, एकीकृत बागवानी विकास मिशन में 205 करोड़ रूपये का प्रावधान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 359 करोड़ रूपये का प्रावधान, एकीकृत वॉटरशेड प्रबंधन के लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 74 करोड़ का प्रावधान और 5 एच.पी. तक के कृषि पंपों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 2164 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के साथ-साथ हर वर्ग का विशेष ख्याल रखी है। नवीन सिंचाई परियोजनाओं हेतु नवीन परिकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आगे बढ़ रही है। नवीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है। आज माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने गोबर गैस प्लांट एवं कंपोस्ट इकाईयों के निर्माण, संधारण एवं संचालन हेतु प्रत्येक गांव से 10 युवाओं को प्रशिक्षण देकर लगभग 02 लाख युवाओं को रोजगार देने का निर्णय लिया है। भूमिहीन मजदूरों एवं लघु सीमांत कृषकों को रोजगार देने के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं का मनरेगा से अभिसरण करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए मनरेगा योजना में राज्य बजट से 1 हजार 542 करोड़ का प्रावधान किया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 450 करोड़ का प्रावधान किया है। वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 हजार 723 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। एकीकृत बाल विकास योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के तहत इस बजट में 1 हजार 340 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आज छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने हर विभाग से हर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया है। पिछली सरकार में कन्या विवाह के लिए मात्र 15 हजार रूपये दिया जाता था मगर वर्तमान सरकार द्वारा कन्या विवाह के लिए प्रति जोड़ा 25 हजार रूपये देने हेतु इस बजट में प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करने का प्रयास कर रही है। आज एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 73 प्रतिशत लोग प्राईवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं जिससे गरीब जनता को इसका लाभ नहीं मिलता। हमारी सरकार यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करके सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमी है उसकी पूर्ति करेगी, कर्मचारी और डॉक्टरों की कमी दूर की जायेगी और उसमें सभी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी की जायेंगी। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कमी है उसे दूर किया जायेगा जिससे गरीबों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। पहली बार हमारी संवेदनशील सरकार यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करना चाहती है जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर लगातार नारे लगाये गये)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, ये छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, आज अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 15 हजार 989 करोड़, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 5,485 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। हमारी श्री भूपेश बघेल की सरकार पूरे देश में उद्योग को........।

सभापति महोदय :- माननीय श्री धरम लाल कौशिक जी, आप नियम का परिपालन करने वाले लोगों में से हैं। इस सदन की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इस सदन के अध्यक्ष रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। मैं अंतिम बार आपसे निवेदन करता हूं, कृपया आप बाहर जाएं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर लगातार नारे लगाये गये)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, देश में पहली घटना है, बस्तर के टाटा के लोहण्डीगुड़ा में 1764 किसानों का लगभग चार हजार से अधिक जमीन किसानों को वापस किया है। ये देश की पहली सरकार है, जो किसानों की इतनी चिंता करती है, आज देखने को मिला है, (मेजों की थपथपाहट) जो पिछली सरकार ने बड़े-बड़े वायदे किये थे। स्विटजरलैंड से खूबसूरत लोहण्डीगुड़ा को बनायेंगे। मगर पिछली सरकार ने नहीं बनाया लेकिन हमारी श्री भूपेश बघेल की सरकार ने लोहण्डीगुड़ा के किसानों को जमीन वापस किया। ए.डी.बी. फेस तीन के लिए 3500 करोड़ पी.डब्ल्यू.डी. और नवीन सड़कों के लिए 300 करोड़, जवाहर सेतु योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय भूपेश बघेल की सरकार लगातार, नीतिगत फैसले ले रही है। छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता के लिए लगातार फैसले ले रही है। ए.फार.बी.एम. 3 प्रतिशत फिजिकल डी.वी.सी होना चाहिए, मगर छत्तीसगढ़ का फिजिकल डी.वी.सी. 2.99 प्रतिशत है, जो 3 प्रतिशत से कम है। आज हम देखते हैं पिछली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता के खजाने, रूपये का कैसे खर्च करना है। पिछली सरकार के मुखिया और वित्तमंत्री ने की थी। उस बार वित्त की जिम्मेदारी उनकी थी, मगर अनाप-सनाप योजनाओं में सरकारी, रूपये का दुरूपयोग किया। बिना सोचे समझे खर्च किया, उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है।

बृहस्पत सिंह :- इसीलिये सरकार गई, इसीलिये सरकार गई।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर लगातार नारे लगाये गये)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने लंदन से न खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से। पिछली सरकार ने लगभग 400 करोड़ रूपये अनाप-सनाप खर्च कर दिया था, मगर उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिला। जल, जंगल, जमीन देने की बात कही थी उसको भी नहीं दिया। पिछली सरकार ने 3 हजार स्कूलों को बंद कर दिया। आदर्श विद्यालय को डी.ए.वी. स्कूलों को दिया। मोबाईल वितरण योजना, संचार क्रांति योजना के तहत 22 अरब 78 लाख रूपये इन्होंने खर्च कर दिया। माननीय सभापति जी, तेंदूपत्ता मजदूरों की कमाई की 5 करोड़ रूपये सरकार ने वन मड़ई विकास यात्रा में खर्च किये, जो हमारे वनवासी भाईयों का, आदिवासी भाईयों का 5 करोड़ रूपये था, उसे वन मड़ई, बोनस तिहार, विकास यात्रा में खर्च कर दिया। पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ के खजाने का इतना ज्यादा दुरूपयोग किया और पिछली सरकार का वित्तीय प्रबंधन सी.ए.जी. ....।

श्री बृहस्पत सिंह :- छत्तीसगढ़ की जनता ने बंद कर दिया है(व्यवधान) और जोर-जोर से करिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में वर्ष 2016-2017 में जो सी.ए.जी. की जो रिपोर्ट आयी है, कैग की जो रिपोर्ट आयी है। पिछली सरकार का वित्तीय प्रबंधन पर सीएजी ने तल्क टिप्पणी की है कि वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं था। कई विभाग अपना बजट खर्च नहीं कर पाये, फिर भी अनुपूरक मांग करते रहे। वर्ष 2016-2017 में सरकार की आय 53 हजार, 685 हजार करोड़ था। जबकि व्यय 58 हजार करोड़ था। 4 हजार, 315 करोड़ अधिक उन्होंने व्यय कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के लिए चलायी जाने वाली 25 योजनाओं में 1 हजार, 455 करोड़ का प्रावधान था...।

श्री बृहस्पत सिंह :- भारत माता की जय, अब गये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन 880 करोड़ रूपये पिछली सरकार खर्च नहीं कर पायी, 575 करोड़ रूपये खर्च नहीं कर पायी। पब्लिक सेक्टर की 8 कंपनियां 6 हजार, 778 करोड़ रूपये निवेश किया गया। लेकिन राज्य को इसका फायदा नहीं मिला। पब्लिक सेक्टर की कंपनियां सफेद हाथी साबित हुए। पब्लिक सेक्टर में इतनी राशि इंवेस्ट करने के बाद भी ये पैसा खर्च नहीं कर पायी।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2016-2017 में कैग की ऑडिट रिपोर्ट में 4 हजार, 601 करोड़ रूपये के टेण्डर घोटाले में ई.ओ.डब्ल्यू, पी.डब्ल्यू.डी., चिप्स ऑफिस में जांच करती है। 4 हजार, 601 करोड़ रूपया जो गड़बड़ियां हुईं हैं, उस जांच प्रकरण को ई.ओ.डब्ल्यू जांच कर रही है और उसमें जांच हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, जो जीरो टॉलरेंस, पारदर्शिता की बात करने वाली पिछली डॉ. रमन सिंह की सरकार में परत दर परत भ्रष्टाचार खुलते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का

पैसा इतना दुरूपयोग किया गया। जनता ने इसीलिए आपको सत्ता में बैठाया था। अगर वर्तमान सरकार जांच कर रही है तो इसमें बदलापुर की बात कहां आयी।

माननीय सभापति महोदय, मैं पी.डी.एफ. के संबंध में कहना चाहूंगा कि स्वस्थ नागरिकों को बिना समृद्ध राज्य की परिकल्पना संभव नहीं है।

(माननीय सदस्य डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी गर्भगृह में आयें)

सभापति महोदय :- आप कहां से आ गये ? आप तो थे नहीं। माननीय डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी स्वमेव निलंबित हो गये हैं, वे अभी आये हैं। आप भी निलंबित किये गये। मैं फिर निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके बाहर जायें। आप लोग काम ऐसा ही कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश को भूख, गरीबी और   कुपोषण जैसे समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी सरकार ने प्रति राशनकार्ड 35 कि.ग्रा. करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल परिवारों की संख्या 56 लाख, 50 हजार, 724 है। जनगणना मकान 57 लाख, 4200 है।

माननीय सभापति महोदय, मैं राशन कार्ड के संबंध में कहना चाहूंगा कि उस समय विधान सभा और लोक सभा चुनाव होने वाले थे। पिछली रमन सरकार ने 70 लाख, 67 हजार, 934 राशनकार्ड बना दिये। 14 लाख, 1720 राशन कार्ड अधिक बना दिये। आज 14 लाख, 1 हजार, 720 फर्जी राशनकार्ड बना दिये। अगर आज ई.ओ.डब्ल्यू नागरिक आपूर्ति निगम का 36 हजार करोड़ का घोटाले की जांच कर रही है (व्यवधान) परत दर परत ई.ओ.डब्ल्यू जांच कर रही है।

माननीय सभापति जी, अभी तक देश के सबसे अच्छा पी.डी.एस. सिस्टम का दंभ भरने वाली पिछली डॉ. रमन सिंह जी की सरकार की असली पोल नागरिक आपूर्ति निगम के घोटालों से उजागर हुई है। पिछले 12 वर्षों में धान संग्रहण, परिवहन एफ.सी.ई. तक पहुंचाने में नागरिक आपूर्ति निगम विभाग में गड़बड़ियॉ हुई हैं। धान, चावल का परिवहन हुआ है। 36 हजार करोड़ रुपये का नान घोटाला हुआ, पिछले मुख्यमंत्री जी आज मुंह छिपाते फिर रहे हैं। 36 हजार करोड़ रुपये का नागरिक आपूर्ति निगम में जो घोटाला हुआ है, वह उजागर हुआ, उसको छिपाने के लिए आज ऐसी नौटंकी कर रहे हैं। नान घोटाला आपकी सरकार ने शुरू की थी, उसी को हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। इसमें छोटे कर्मचारी-अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज हैं। प्रभावशील लोगों पर अभी कार्यवाही होना बाकी है। यहां तक की जनप्रतिनिधि-अधिकारियों के फोन भी टेप होते थे। माननीय सभापति जी, पिछली सरकार ने युवाओं के कौशल विकास एवं उनके रोजगार के लिए अलग 6151 करोड़ का बजट में प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में 200 करोड़ का प्रावधान किया था। मगर छत्तीसगढ़ में आज 25 लाख पढ़े-लिखे शिक्षित लोग हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर गये।)

माननीय सभापति जी, पिछली सरकार ने युवाओं के कौशल विकास एवं उनके रोजगार के लिए अलग से 6151 करोड़ का पिछले बजट में प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए भी 200 करोड़ का प्रावधान किया था। मगर आज हम देखते हैं कि पिछले 15 सालों से छत्तीसगढ़ में 25 लाख पढ़े-लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं। इतना भारी-भरकम बजट में प्रावधान करने के बाद भी आखिर ये पैसा कहां गया? पिछले 45 सालों में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वर्ष 2004-05 से 2011 के बीच यह आंकड़ा हमारी सरकार के समय 3.5 प्रतिशत बेरोजगारी दर थी, मगर डॉ. रमन सिंह जी की पिछली सरकार में और वर्तमान मोदी जी की सरकार में 4.4 प्रतिशत का यह आंकड़ा बहुत ज्यादा हाईजेस्ट है। वर्ष 2017-18 के नेशनल सेम्पल सर्वे आफिस की तरफ से कराये जाने वाले श्रम शक्ति सर्वे के अनुसार 6.1 प्रतिशत बेरोजगारी की दर है जो कि दिनोंदिन बढ़ रही है। मगर चाहे केन्द्र की मोदी की सरकार हो, चाहे पिछली डा. रमन सिंह जी की सरकार हो, इन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- मोहन भईया, आराम से बोलिये।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मरकाम भईया, पूरा समय है, कोई घंटी नहीं बजेगी, आप आराम से बोलिये, पूरा बोलिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- मोहन जी, आप इतना ज्यादा नारेबाजी करवाये, अब तो आराम से बोलो।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार युवाओं के विकास कृतसंकल्पित है। इसलिए गोबर गैस प्लाण्ट एवं कंपोस्ट इकाईयों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के 19,567 गावों के प्रत्येक गांव से 10 युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया है। इस साल के बजट में उसके लिए प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम वर्ष में 2 लाख युवा इस क्षेत्र में ट्रेनिंग लेंगे, गांव के विकास में, निर्माण में उनकी भागीदारी होगी। ये चिंतन, मनन हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। पिछली सरकार जो युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है । गांव के लोगों को कैसे रोजगार मिले, गांव कैसे समृद्ध बने उसके लिये विशेष ध्यान दिया है । ऊर्जा की बात है । पिछले 15 सालों से पिछली सरकार के मुख्यमंत्री जी के पास ऊर्जा विभाग था । छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ राज्य में एक ही विभाग था ऊर्जा विभाग लेकिन जब पिछली सरकार के मुखिया ने उस कंपनी को, उस विभाग को 4 कंपनियों में विभक्त कर दिया तो वह 18 वर्षों में बढ़कर 3424 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ है। आज हम देखते हैं कि वर्ष 2016-17 में जो सीएजी की रिपोर्ट आयी है । ऑडिट रिपोर्ट पिछली सरकार का बिजली कंपनी के 2 हजार करोड़ लोन लेने की गारंटी नहीं है, लोन कहां से चुकाया जायेगा

इसका कहीं उल्लेख नहीं है । बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनी की आवश्यकताओं में शामिल करते हुए पिछले वित्तीय वर्षों में 3350 करोड़ की कमी का आंकलन किया गया है । मैं यह नहीं कह रहा हूं, यह सीएजी की रिपोर्ट है । उन्होंने बिजली विभाग की गड़बड़ियों को पकड़ा है । हर साल बजट में बिजली विभागों को सरकार लगातार पैसे देती रही है आखिर छत्तीसगढ़ में सबकुछ है, छत्तीसगढ़ का रॉ-मटेरियल, छत्तीसगढ़ का संसाधन, छत्तीसगढ़ का पानी उसके बाद भी बिजली कंपनियॉ लगातार घाटे में क्यों चली गयी ? सीएजी ने बहुत बड़ा जो पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ऊर्जा विभाग था, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है । मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वर्तमान सरकार को बिजली विभाग में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ।

सभापति महोदय :- श्री मोहन मरकाम जी और कितना समय लेंगे ?

श्री मोहन मरकाम :- बस आधे घंटे । (हंसी)

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, बोलने दीजिये पूरा मैदान खाली हो गया है । (हंसी)

सभापति महोदय :- अभी आपको बोलते हुए 40 मिनट हो गये हैं । अब सुनने वाला भी कोई नहीं है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आग्रह है कि उनको बोलने दिया जाये ।

सभापति महोदय :- मैं कह रहा हूं कि 40 मिनट हो गये हैं । बोलने वालों के नाम बहुत ज्यादा हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, बिजली कंपनियों के स्थापना व्यय को कम करने के लिये सरकार को मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो 4 कंपनियां हैं उसमें एक-दो कंपनियॉ बनाना चाहिए ताकि स्थापना व्यय कम हो और जो हमारी सरकार की घोषणा है बिजली बिल हाफ करने की उसमें हम लोगों को लाभ मिलेगा और पैसा बचेगा उससे सरकार के खजाने में वृद्धि होगी । पिछली सरकार के साथ 91 पॉवर कंपनियों ने एमओयू किया था और 68460 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था । क्रेडा का 101 से एमओयू नवम्बर 2012 में पिछली सरकार का ग्लोबल इंवेस्ट मीट के दौरान हुआ था और बड़े-बड़े छत्तीसगढ़ के लोगों को सब्जबाग दिखाये गये थे कि छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिलेगा, छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और छत्तीसगढ़ का विकास होगा । आज हम देखते हैं पिछली सरकार के 15 साल पूरे हुए लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में एक भी बिजली कंपनी अभी यहां छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर रही है । छत्तीसगढ़ राज्य वितरण कंपनी ने 500 मेगावाट, आंध्रप्रदेश 500 मेगावाट, तमिलनाडू 250 मेगावाट, केरल को बेचने का अनुबंध किया है । सरकार को भी फिर से इस पर विचार करना चाहिए । अगर छत्तीसगढ़ के लोगों को सस्ती दर पर

बिजली उपलब्ध कराना है तो हम दूसरे प्रदेशों को बिजली न दें यह मेरी व्यक्तिगत राय है ।

सभापति महोदय :- बस समाप्त करें ।

श्री मोहन मरकाम :- बस 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आज हम देखते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने आर्थिक सर्वेक्षण तो जारी किया । छत्तीसगढ़ राज्य के 71 प्रतिशत परिवार की आमदनी 5 हजार या 5 हजार से कम है । प्रदेश के 3 प्रतिशत परिवार की जिनकी कमाई 10 हजार या 10 हजार से अधिक है इसलिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, एक परिकल्पना की है, एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं । छत्तीसगढ़ के निवासियों का आर्थिक-सामाजिक विकास कैसे हो इसलिये इस बजट में हर वर्गों के लिये विशेष प्रावधान किया है । माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में लगातार जो बातें आई हैं । पिछली सरकार हमेशा नम्बर-1 आती थी । मगर पिछली सरकार नम्बर वन थी भ्रष्टाचार में, गरीबों का चावल खाने में नम्बर वन, युवाओं का रोज़गार छीनने में नम्बर वन और आदिवासियों को लूटने में नम्बर वन, सपने दिखाने में नम्बर वन, पिछली सरकार शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा करने में नम्बर वन थी । सभापति जी, छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार बड़े बड़े फ्लैक्सों के माध्यम से विश्वसनीय छत्तीसगढ़ की बात कहती थी । मगर हमने देखा है छत्तीसगढ़ पिछले 15 सालों में अविश्वसनीय छत्तीसगढ़ बन गया था । ये कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, हमारे अनेक विधायकों के ऊपर केस बने हैं । हमारे विधायकों पर 302 के केस दर्ज किये गये हैं । हमारे सम्माननीय बृहस्पत जी 15 दिन जेल जाकर आए हैं । हमारे मुखिया पर गलत प्रकरण दर्ज कराकर कई बार उनकी पुश्तैनी जमीन को नपवाया जाता है । सभापति महोदय, ये किस बदलापुर की बात करते हैं ? इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेताओं पर, हमारे विधायकों पर लगातार प्रकरण दर्ज किया । उसी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है । ये 65 प्लस की बात करने वाले आज 15 सीट पर आकर सिमट गए हैं। यह छत्तीसगढ़ की जनता का श्राप लगा है, जो इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा है । सभापति जी, हम देखते हैं कि इनकी सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया है । आने वाले चुनावों में भी छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी । हम तो चाहते हैं 20-25 सालों तक कांग्रेस की सरकार रहेगी । हमें ऐसा लगता है और जिस उम्मीद के साथ, छत्तीसगढ़ का माटीपुत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता की नब्ज़ पकड़कर बजट में प्रावधान किया है । छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास के लिए जो जो व्यवस्थाएं की हैं, इसको देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में होगा । क्योंकि हमारे पास सब कुछ है । हम छत्तीसगढ़ की अमीर धरती के गरीब लोग, आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहां का कोयला, यहां का सोना, यहां का बाक्साइट, यहां का लोहा दूसरे लोगों को दे रहे हैं । मगर माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ज़ोर दिया है । लोगों को रोज़गार कैसे मिले, इस विषय पर ध्यान दिया है । हमारे भूपेश बघेल जी की

सरकार ने जो बजट पेश किया है, हम उसका समर्थन करते हैं इसके साथ ही मैं अपनी बातों को विराम देता हूं । आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

<u>निलम्बन समाप्ति की घोषणा</u>

सभापति महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत माननीय सदस्यगण अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए थे । मैं उनका निलम्बन समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक, 12 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(3 बजकर 54 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2019 (माघ 23, शक समवत 1940) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

रायपुर (छत्तीसगढ़)
11 फरवरी, 2019

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा